599
9.6.64

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit.
Fumigated
On 21-5-92
Parliament Library

[खंड २६ में अंक ११ से २० तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

२ मार्च, १९६४। १२ फाल्गुन, १८८५(शक) का शुद्धि-पत्र

---

१ पृष्ठ १२११, ऊपर से सातवीं पंक्ति, 'श्री सत्य नारायण सिंह' के स्थान पर 'श्री इन्द्रजीत गुप्त' पढ़िये ।

२. पृष्ठ १२३८, अतारांकित प्रश्न संख्या ७४३, सदस्य का नाम 'श्री मजनप्पा' के स्थान पर 'श्री अंजनप्पा' पढ़िये ।

३. पृष्ठ १२५३, ऊपर से तेरहवीं पंक्ति, सदस्य का नाम 'श्री अ० प्र० प्रसाद' के स्थान पर 'श्री अ० प्र० जैन' पढ़िये ।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड २६—सातवां सत्र, १९६४]

	विषय	पृष्ठ
	अंक १६—सोमवार, २ मार्च, १९६४ / १२ फाल्गुन, १८८५ (शक)	
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर—जारी	
	***तारांकित प्रश्न संख्या**	
३७२	विदेशों में प्रचार	११९७–१२००
३७३	"रोहिणी" ग्लाइडर	१२००–०१
३७५	उपभोक्ता सहकारी समितियां	१२०२–०४
३७६	उपभोक्ता मूल्य देशनांक	१२०५–०९
३७७	आकाशावाणी पर विदेशों के लिए प्रसार	१२०९–११
३७८	त्रिपुरा से मुसलमानों का कथित निष्कासन	१२१२–१४
३७९	शेख अब्दुल्ला द्वारा भेजा गया पत्र	१२१४–१७
३८०	सस्ते अनाज की दुकानें	१२१७–१८
३८१	पाकिस्तानी विमानों द्वारा वायुसीमा का उल्लंघन	१२१८–१९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	१२१९–४१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३७४	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालिज	१२१९–२०
३८२	राष्ट्रमण्डल के प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों का सम्मेलन	१२२०
३८३	कर्मचारी भविष्य निधि	१२२१
३८४	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	१२२१
३८५	चीन के प्रधान मंत्री के विमान की भारत पर से उड़ान	१२२१–२२
३८६	सिंगरौनी कोयला खान में दुर्घटना	१२२२
३८७	कोयला उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	१२२२
३८८	रंगून में भारतीय दूतावास	११२३
३८९	"ड्रैगन" परियोजना	१२२३
३९०	कोयला खानों में खान सुरक्षा समितियां	१२२३–२४
३९१	आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा	१२२४–२५
३९२	न्यू जेमेहा ी खास कोयला खान	१२२५
३९३	नागा विद्रोहियों द्वारा पुल का उड़ाया जाना	१२२६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXVI—Seventh Session, 1964]

No. 16—Monday, March, 2, 1964/Phalguna 12, 1885 (Saka)

	Subject	Pages
Oral Answers to Questions		
*Starred Question Nos.		
372	External Publicity	1197-1200
373	Rohini Gliders	1200-02
375	Consumer Co-operative Societies	1202-04
376	Consumer Price Index	1205-09
377	Overseas Broadcasts on A.I.R.	1209-11
378	Alleged Evicition of Muslims from Tripura	1212-14
379	Letter from Sheikh Abdullah	1214-17
380	Cheap Grain Stores	1217-18
381	Air Space Violations by Pakistani Planes	1218-19
Written Answers to Questions—		2119-41
Starred Questions Nos.		
374	National Defence College	1219-20
382	Conference of Commonwealth Defence Scientists	1220
383	Employees Provident Fund	1221
384	Employees State Insurance Scheme	1221
385	Chinese Premier's Flight over India	1221-22
386	Accident at Singareni Collieries	1222
387	Wage Board for Coal Industry	1222
388	Indian Mission in Rangoon	1223
389	Dragon Project	1223
390	Pit Safety Committees in Coal Mines	1223-24
391	Assam-East Pakistan Border	1224-25
392	New Jemehary Khas Colliery	1225
393	Bridge Blown Up by Naga Hostiles	1226

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय पृष्ट

प्रश्नों के लखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७१७	लाहौल ग्रौर स्पीती घाटी संबंधी डाकुमेंटरी चित्र	१२२६
७१८	तकनीकी सेवाग्रों में भर्ती	१२२६–२७
७१६	ग्रान्ध्र प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तर	१२२७
७२०	हज तीर्थयात्री	१२२८–२६
७२१	श्रीनगर हवाई ग्रड्डे पर—रडार	१२२६
७२२	ग्रमरीकी शान्ति दल	१२२६
७२३	नौसेना डाकयार्ड, बम्बई	१२२६–३०
७२४	नेफा में चीनी जासूस	१२३०
७२५	कोयला खानें कल्याण बोर्ड	१२३०–३१
७२६	नाइजीरिया को भारतीय सहायता	१२३१
७२७	भारी मोटर गाड़ी कारखाना, ग्रवाडी	१२३१
७२८	बम्बई में कपड़ा मिलों के मजदूरों द्वारा बोनस की मांग	१२३१–३२
७२६	त्रिपुरा ग्रौद्योगिक संस्था	१२३२
७३०	समाचारपत्रों को निदेश पत्र	१२३२–३३
७३१	सैनिक समाचार	१२३३
७३२	सहकारी खेती के बारे में प्रसारण	१२३३
७३३	सैन्य चिकित्सा ग्रनुसंधान समिति	१२३३–३४
७३४	ग्रमरीका मे भारतीय राष्ट्रकों का ग्राप्रवास	१२३४
७३५	भूतपूर्व सैनिकों के लिये गोलाबारूद	१२३४
७३६	कोठागुडियम में बहुप्रयोजनीय संस्थान	१२३५
७३७	वायु सेना ग्रकादमी	१२३५
७३८	गोरखपुर लेबर रिक्रूटिंग डिपो	१२३५–३६
७३६	घेमो मेन कोयला खान	१२३६
७४०	ग्रासनसोल रानीगंज कोयला क्षेत्र में ग्रौद्योगिक विवाद	२२३६–३७
७४१	पंजाब के सनिक पेंशन पाने वाले	१२३७
७४२	सकल पूंजी निर्माण	११३८
७४३	चीन में पाकिस्तान सनिक प्रशिक्षणार्थी	१२३८
७४४	कराची में भारतीय उच्चायोग द्वारा दिखाई गई फिल्में	१२३८
७४५	ईशापुर राइफल फैक्ट्री	१२३६
७४६	सेना अधिकारियों की भरती	१२३६
७४७	इंजीनियरिंग के छात्रों को सनिक शिक्षा	१२३६–४०
७४८	सशस्त्र सेना कार्यालय के सहायक	१२४०
७४६	पंजाब में शिक्षित बेकार	१२४०
७५०	ग्रमरीका तथा कनाडा को भारतीय उत्प्रवासी	१२४०–४१
७५१	भारी मिट्टी हटाने के उपकरण का कारखाना	१२४१

Written Answers to Questions—contd

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
717	Documentary on Lahaul and Spiti Valley	1226
718	Recruitment in Technical Services	1226-27
719	Employment Exchanges in Andhra	1227
720	Haj Pilgrims	1228-29
721	Radar at Srinagar Aport	1229
722	U.S. Peace Corps	1229
723	Naval Dockyard, Bombay	1229-30
724	Chinese Spies in NEFA	1230
725	Coal Mines Welfare Board	1230-31
726	Indian Aid to Nigeria	1231
727	Heavy Vehicles Factory, Avadi	1231
728	Bonus demanded by Textile Workers in Bombay	1231-32
729	Tripura Industrial Institute	1232
730	Guidance Notes to Press	1232-33
731	"Sainik Samachar"	1233
732	Broadcasts in Co-operative Farming	1233
733	Army Medical Research Committee	1233-34
734	Immigration of Indians to U.S.A	1234
735	Ammunition for Ex-Servicemen	1234
736	Multipurpose Institutes at Kothagudium	1235
737	Air Force Academy	1235
738	Gorakhpur Labour Recruiting Depot	1235-36
739	Dhemo Main Colliery	1236
740	Industrial disputies in Asansol-Raniganj Coal Belt	1236-37
741	Punjab Military Pensioners	1237
742	Gross Capital Formation	1238
743	Pak Military Trainees in China	1238
744	Films shown by Indian High Commission in Karachi	1238
745	Ishapur Rifle Factory	1239
746	Recruitment of Army Officers	1039
747	Military Training to Engineering Students	1239-40
748	AFHQ Assistants	1240
749	Educated Unemployed in Punjab	1240
750	Indian Emigrants for U.S.A. and Canada	1240-41
751	Heavy Earth-Moving Equipment Factory	1241

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	१२४१–४२, ४८—५२
(१) तेजपुर के निकट सैनिक क्षेत्र में विस्फोट	१२४१–४२
श्री स्वैल	१२४१–४२
श्री यशवन्तराव चव्हाण	१२४८—५२
(२) पूर्वी पाकिस्तान से इसाइयों का भारत में आना	१२४८
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	१२४८—५२
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	१२४२—४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२४३—४५
इस्पात के वितरण के बारे में वक्तव्य—	
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	१२४३—४५
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६४	१२४५
(२) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६४	१२४५–४६
देश की खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	१२४६—४८, ५२—६३
श्री स्वर्ण सिंह	१२४६
श्रीमती विमला देवी	१२४६—४८
श्री कृष्णपाल सिंह	१२५२–५३
श्री अ० प्र० जैन	१२५३–५४
श्री महताब	१२५४–५५
श्री विश्राम प्रसाद	१२५६–५७
श्री सिंहासन सिंह	१२५७–५८
श्री काशीराम गुप्त	१२५८
श्री विभूति मिश्र	१२५८–५९
श्री उ० मू० त्रिवेदी	१२५९–६०
श्री काशी नाथ पांडे	१२६०
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	१२६०–६१
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	१२६१–६२
डा० राम मनोहर लोहिया	१२६२–६३
श्री पु० र० पटेल	१२६३
श्री भागवत झा आजाद	११६३–६४
श्री मुत्तु गौंडर	१२६४
श्री शिव नारायण	१२६४–६५
श्री स० मो० बनर्जी	१२६५–६६
श्री करुथिरमण	१२६६–६७
श्री बागड़ी	१२६७–६८
श्रीमती लक्ष्मी बाई	१२६८—७३

Subject	PAGE
Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance. 1241-42	48—52
(*i*) Explosion in Military area near Tezpur	1241
Shri Swell	1241
Shri Y. B. Chavan	1242
(*ii*) Migration of Christians from East Pakistan to India	1248—52
Dr. L. M. Singhvi	1248
Shrimati Lakshmi Menon	1248—52
Papers laid on the Table	1242-43
Statement Re. Distribution of Steel	1243—45
Shri C. Subramaniam	1243—45
Bills Introduced—	
(*i*) Appropriation (Railways) Bill, 1964.	1245
(*ii*) High Court Judges (Conditions of service) Amendment Bill, 1964	1245-46
Motion Re. Food Situation in the Country	1246—48, 52—73
Shri Swaran Singh	1246
Shrimati Vimla Devi	1246—48
Shri Krishnapal Singh	1252-53
Shri A. P. Jain	1253-54
Dr. Mahatab	1254-55
Shri Vishram Prasad	1256-57
Shri Sinhasan Singh	1257-58
Shri Kashi Ram Gupta	1258
Shri Bibhuti Mishra	1258-59
Shri U. M. Trivedi	1259-60
Shri K. N. Pande	1260
Dr. L. M. Singhvi	1260-61
Shri Harish Chandra Mathur	1261-62
Dr. Ram Manohar Lohia	1262-63
Shri P. R. Patel	1263
Shri Bhagwat Jha Azad	1263-64
Shri Muthu Gounder	1264
Shri Sheo Narain	1264-65
Shri S. M. Banerjee	1265-66
Shri Karuthiruman	1266-67
Shri Bagri	1267-68
Shrimati Laxmi Bai	1268—73

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, २ मार्च, १९६४ / १२ फाल्गुन, १८८५ (शक)

Monday, March 2, 1964/Phalguna 12, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों में प्रचार

+

*३७२. श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेशों में प्रचार संबंधी व्यवस्था का हाल ही में पुनर्विलोकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रधान कार्यालय में वैदेशिक प्रचार विभाग को और विदेशों में हमारे सूचना केन्द्रों को पुनर्गठित करने के लिये कदम उठाये गये हैं जिससे कि सभी संभव श्रव्य-दृश्य उपायों के द्वारा विदेशों में हमारा प्रचार सक्रिय और प्रभावी हो जाये। ऐसे उपायों का उद्देश्य प्रादेशिक आधार पर हमारी प्रचार आवश्यकताओं को भली भांति समझना तथा विदेशों में हमारे सूचना केन्द्रों को जल्दी से जल्दी हमारे विचार पहुंचाना है।

अन्य बातों के साथ-साथ, इनका परिणाम यह हुआ है कि अफ्रीका में प्रचार पदों की संख्या बढ़ गई है और पिछले वर्ष हमारी पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं की संख्या दुगनी हो गई है। आर्थिक तथा राजनीतिक विषयों पर भारत के विचारों पर रोशनी डालने के लिये एक पाक्षिक पत्रिक अंग्रेजी तथा फ्रेंच में प्रकाशित की गई है।

हमारे वृत्त चित्रों का विदेशी भाषाओं में रूपान्तर करने और प्रदर्शनियों, निबन्ध प्रतियोगिताओं आदि की व्यवस्था करने पर अब अधिक जोर दिया जा रहा है। यह भी आशा की जाती है कि विदेशों में हमारे सूचना पदों को पुनर्गठित किया जायेगा जिससे कि व्यक्तिगत संपर्कों को अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके।

श्री श्रीनारायण दास : विवरण में यह बताया गया है कि प्रधान कार्यालय में वैदेशिक प्रचार विभाग को पुनर्गठित करने के लिये उपाय किये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन उपायों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

श्री दिनेश सिंह : यह मुख्यत : प्रशासनिक पुनर्गठन है। हमने एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव नियुक्त किया है जो कि वैदेशिक प्रचार विभाग के कार्य का समन्वय करेगा।

श्री श्रीनारायण दास : क्या एक उच्च शक्तीय ट्रांसमिटर स्थापित करने की दिशा में किये गये प्रयत्नों को अन्तिम रूप दे दिया गया है?

श्री दिनेश सिंह : इस मामले पर सदन में चर्चा की जा चुकी है और सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा इससे संबंधित ब्यौरे बताये जा चुके हैं।

Shri Sidheshwar Prasad: It has been stated in the statement that literature in English and French is being published and pamphlets are being produced for making publicity abroad. May I know in what languages other than English and French, Government propose to publish pamphlets and brochures or other literature?

Shri Dinesh Singh: Yes, Sir. They are published in many languages. During the last Session I mentioned the various languages in which our brochures and other literature are being published, these are Arabic, Swahili and Indonesian languages etc.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि विदेशों में हमारे अधिकांश भारतीय दूतावासों में कोई सार्वजनिक वाचनालय अथवा पुस्तकालय नहीं हैं जिसमें कि उन देशों के नागरिक स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लिखे साहित्य का अध्ययन कर सकें?

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि विदेशों का हमारे अधिकांश दूतावासों में उनके साथ पुस्तकालयों की व्यवस्था है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने सार्वजनिक वाचनालयों के संबंध में भी पूछा था।

श्री दिनेश सिंह : उनमें वाचनालय भी हैं ; हो सकता है कि वे बहुत बड़े न हों परन्तु ये हैं अवश्य।

श्री ही० ना० मुकर्जी : विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले प्रचार की तुलना में हमारा प्रचारात्मक कार्य स्पष्ट रूप से ही असफल हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे पास यह मालूम करने का कोई साधन है कि विदेशों में हमारे प्रचार का क्या परिणाम निकल रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारा प्रचार कार्य कहीं भी असफल नहीं हो रहा है। हमारी नीति सुविख्यात है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि सर्वदा ही ऐसा नहीं होता कि कोई देश इस प्रकार के किसी प्रचार के कारण ही अपना कोई विशेष रुख अपना ले ; राष्ट्रीय हित की अन्य बातें भी होती हैं जिनका कि उन देशों की नीति के निर्धारित करने में अपना एक स्थान होता है। परन्तु प्रचार कार्य चलता रहता है। अनेक मामलों में अपने दृष्टिकोण और अपनी नीति से हम जनसाधारण को अवगत कराने का प्रयत्न करते हैं, और मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहां तक इसके बारे में कोई अनुमान लगाने का सम्बन्ध है, ऐसे किसी साधन की व्यवस्था करना बहुत ही कठिन है जो कि इसका अनुमान लगा सकता है क्योंकि यह तो एक दीर्घकालीन प्रयत्न है। परन्तु मंत्रालय में हम निरन्तर इसका पुनर्विलोकन करते रहते हैं।

श्री कपूर सिंह : विदेशों में हमारे प्रचार की अब तक की प्रभावशून्यता के कारण यह सिद्ध हुए हैं कि उसकी पद्धति त्रुटिसंगत है अथवा मानवजन्य क्रियायें भी इसके लिये उत्तरदायी हैं ?

श्री दिनेश सिंह : कोई असफलता नहीं हुई। माननीय सदस्य यह आक्षेप लगा रहे हैं कि यह असफल हुआ है। यह असफल नहीं रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : विवरण के अन्त में यह कहा गया है कि "यह भी आशा की जाती है कि विदेशों में हमारे सूचना पदों को पुनर्गठित किया जायेगा जिससे कि व्यक्तिगत सम्पर्कों को अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके।" क्या अक्टूबर, १९६२ के बड़े पैमाने के चीनी आक्रमण और राजनयिक अखाड़े में केवल चीनी प्रधान मंत्री के ही नहीं अपितु एशिया, अफ्रीका और यूरोप में चीनी कर्मचारियों के भी सफल प्रवेश के पश्चात् ही केवल हाल ही में इस चिन्ताजनक निष्प्रभाव का पता चला है ?

श्री दिनेश सिंह : कोई चिन्ताजनक निष्प्रभाव नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने विवरण में यह स्वीकार किया था कि चिन्ताजनक निष्प्रभाव की स्थिति है।

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं। बात यह है कि हम यह अनुभव करते हैं जो कार्य हम कर रहे हैं वह कभी पूर्ण नहीं है और हम हमेशा ही उसमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आप १६ वर्षों से इस कार्य को करते रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : हम केवल गत १६ वर्षों से ही इसको नहीं कर रहे हैं अपितु भविष्य में भी हम निरन्तर इसमें सुधार करते रहेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु इसे अधिक शीघ्रतापूर्वक कीजिये।

श्री जोकीम आल्वा : क्या आपने मंत्रालय में असन्तोष की इस स्थायी शिकायत की आप वास्तव में गहराई से जांच कर सके हैं, अर्थात् यह कि, पदाधिकारियों ने देशभक्त युवा पत्रकारों की सहायता लेने और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में प्रचार कार्य के लिये उन्हें तैयार करने से इनकार कर दिया है ? दूसरी बात यह है कि उन्हें कभी अच्छे पदों पर नहीं रखा जाता है। केवल कुछ ही मामले ऐसे हैं जिनमें कि पत्रकारों को स्थायी नौकरियां दी गई हैं। उन सभी को एक प्रकार के स्थायी असंतोष में रखा जाता है।

श्री दिनेश सिंह : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है । मेरा विचार है कि गत वर्ष इस सदन में इसका उल्लेख किया गया था कि हमने एक सेवा चालू करने का निर्णय किया है और हम स्थायी स्थानों पर नियमित सेवा में युवा लोगों को नियुक्त करेंगे।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : हमारा पक्ष इतना न्याय सम्मत और उचित होते हुए भी हम अपने को अकेला ही क्यों पाते हैं ? हाल ही में सुरक्षा परिषद् में जो बैठक हुई थी उसमें तटस्थ अफ़ीकी-एशियाई राष्ट्रों ने भी काश्मीर समस्या को ठीक से नहीं समझा।

श्री दिनेश सिंह : इसका प्रचार कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो एक राजनीतिक मामला है।

'रोहिणी' ग्लाइडर

+
*३७३. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'रोहिणी' ग्लाइडरों की लागत इंग्लैंड से आयात किये जाने वाले उसी प्रकार के ग्लाइडरों की लागत की तुलना में कितनी है ;

(ख) विमान निर्माण डिपो, कानपुर द्वारा अब तक कितने ग्लाइडर बनाये गये हैं ; और

(ग) आयात किये जाने वाले और देश में निर्मित पुर्जों आदि का प्रतिशत मूल्य कितना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) हाल ही के वर्षों में कोई ग्लाइडर आयात नहीं किये गये हैं, परन्तु १९५६ में ब्रिटेन से आयात किये गए इसी प्रकार के ग्लाइडर का आयातित मूल्य १७,३२० रुपये था। इसकी तुलना में विमान निर्माण डिपो, कानपुर में बने ग्लाइडर का मूल्य १६,५०० रुपये बैठता है । इसमें १,५०० रुपये का पैकिंग खर्च भी शामिल है।

(ख) अब तक ४० ग्लाइडर तैयार किये जा चुके हैं और ३० ग्लाइडरों का निर्माण कार्य विभिन्न प्रक्रमों पर है।

(ग) कानपुर में बनाये जाने वाले ग्लाइडरों के दस प्रतिशत पुर्जे इस समय विदेशों में आयात किये जाते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : ग्लाइडरों के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले स्वदेशी पुर्जों की प्रतिशत संख्या में वृद्धि करना हमारे लिये कब तक सम्भव हो सकेगा ?

श्री रघुरामैया : ९० प्रतिशत पुर्जे इस समय भी देश में ही बनाये जा रहे हैं। शेष १० प्रतिशत में से ५ प्रतिशत विशेष मिश्रधातु इस्पात के हैं और शेष कुछ स्वामित्वाधिकार वाली वस्तुयें हैं।

श्री भागवत झा आजाद : तीस और चालीस ग्लाइडरों के निर्माण को देखते हुए क्या हम ऐसा समझ लें कि देश में इस प्रकार के ग्लाइडरों की मांग बढ़ती ही जा रही है ?

श्री रघुरामैया : जी हां।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रतिरक्षा मंत्री को उस एक ग्लाइडर के बारे में मालूम है जो कि प्रतिभा सम्पन्न वैमानिक इंजीनियर, श्री एन्टोनियस राव, द्वारा १९४८ में १०,००० रुपये की कम लागत पर बनाया गया था—लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने उसे भारत में रोक लिया था ; प्रतिरक्षा मंत्री जी उस समय, १९४८ में, बम्बई सरकार में उपमंत्री थे ; प्रधान मंत्री महोदय इस मामले को जानते हैं ; उन्होंने उसे बड़ौदा में बड़ौदा सरकार के अधीन काम करते हुए स्क्रैप से तैयार किया था—और, यदि हां, तो क्या निर्माण से सम्बन्धित अभिलेख बड़ौदा जिले की फाइलों में इस समय हैं और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उन्हें देखा जा सकता है ?

श्री रघुरामैया : मैं प्रश्न को पूरी तरह नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय : इंग्लैंड के एक इंजीनियर ने एक परियोजना अथवा डिजाइन तैयार की थी.....

श्री हरि विष्णु कामत : जी, नहीं। बात ऐसी नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वैमानिक इंजीनियर, श्री इन्टोनियस राव, द्वारा १०,००० रुपये की कम लागत पर एक ग्लाइडर १९४८ में तत्कालीन बड़ौदा सरकार के अधीन—उस समय बड़ौदा राज्य का भाग नहीं था—बनाया गया था और यदि हां, तो क्या उस परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख इस समय उपलब्ध हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मुझे याद पड़ता है कि मैंने उसके बारे में सुना था।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने स्वयं उसे देखा था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: हमने ब्यौरों की जांच नहीं की है। मैं समझता हूं कि बड़ौदा की फाइलों से अवश्य ही हम और ब्योरों का पता लगा सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : अब इसका वास्तव में प्रयत्न कीजिये।

श्री स० मो० बनर्जी : यहां पर विमान निर्माण डिपो, कानपुर में निर्मित ग्लाइडरों का मूल्य आयातित ग्लाइडरों के मूल्य से कम है। ग्लाइडरों के उत्पादन में वृद्धि करने पर मूल्यों के कितने कम होने की सम्भावना है ?

श्री रघुरामैया : यह बताना तो बहुत कठिन है परन्तु मैं यह और कह सकता हूं कि अन्य स्थानों में स्वदेश निर्मित ग्लाइडरों की तुलना में हमारा यह ग्लाइडर निश्चय ही सस्ता है। कुछ गैर-सरकारी कम्पनियां इनका उत्पादन कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री पी० सी० बरुआ—अनुपस्थित। अगला प्रश्न।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या ३८० को भी प्रश्न संख्या ३७५ के साथ ही ले लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री ऐसा करने में सुविधा समझें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) वे अलग-अलग विषय हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। एक है "उपभोक्ता सहकारी समितियों" के बारे में और दूसरा है "सस्ते अनाज के स्टोरों" के सम्बन्ध में।

श्री स० मो० बनर्जी : केवल पृथक पृथक शब्दों का ही उपयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

Consumer Co-operative Societies

\+

*375. { **Shri Sarjoo Pandey:**
Shri P. R. Chakraverti:

Will the Minister of **Labur and Employment** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to set up Consumers, Co-operative Societies in the industrial undertakings by the end of February, 1964; and

(b) if so, the number of such industrial undertakings in the country in which Consumers' Co-operative Societies have not been set up so far?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): (क) स्थायी श्रम समिति के पिछले अधिवेशन में यह निश्चय किया गया था। कि औद्योगिक उपक्रमों में फरवरी, १९६४ के अन्त तक या तो सहकारी स्टोर अथवा उपभोक्ता स्टोर और उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की जायेंगी, जो कि बाद में सहकारी स्टोरों के रूप में परिणित कर दी जायेंगी।

(ख) समय-सीमा थोड़े दिन पहले ही समाप्त हुई है और अद्यतन रिपोर्टें हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। जब जानकारी प्राप्त हो जायेगी तो वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देना उन्हें सुविधाजनक हो तो वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : दूसरा प्रश्न प्रश्न संख्या ३८० है।

अध्यक्ष महोदय : तब उसका पृथक से उत्तर दिया जाये।

श्री वारियर : श्रम सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि यदि अनाज की ये दुकानें २९ फरवरी, १९६४ तक कारखानों में नहीं खोली गयी, तो सरकार स्वयं ही कार्यवाही करेगी। क्या सरकार अब भी अनाज की दुकानों के खुल जाने की आशा करती है अथवा इस सम्बन्ध में संवैधानिक कार्यवाही करने के लिये तैयार है?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह सच है कि २९ फरवरी, १९६४ ही अन्तिम तिथि थी। परियोजना की पर्याप्त के संतोषजनक रूप में कार्यान्विति की गई है। वे इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक इसकी कार्यान्वित का सम्बन्ध है मैं, यदि आवश्यक हो, तो आंकड़े बता सकता हूँ। स्टोरों के सम्बन्धी में नवीनतम स्थिति यह है कि राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में ७५५ सहकारी समितियां हैं; केन्द्रीय सरकार की उपक्रमों द्वारा खोली गई ३८४ सहकारी समितियां हैं, कोयला खान वालों की १६६ सहकारी समितियां हैं; अभ्रक की खान वालों की १२ सहकारी समितियां हैं। ये कुल मिलाकर लगभग १३१७ बैठती हैं। इनके अतिरिक्त एक थोक स्टोर है। मैं समझता हूं कि लगभग ६० प्रतिशत कार्यान्विति कर दी गई है।

Shri Yashpal Singh : What action are Government taking against the societies which are selling articles at higher rate than market rates, so that the rising prices may be checked?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वास्तव में उचित मूल्य वाली दुकानें तो हैं ही। परन्तु इन सहकारी समितियों से यह लाभ है कि मजदूर लोग उधार चीजें खरीद सकते हैं। इसका मुख्य लाभ यही है। परन्तु केन्द्रीय सहकारी स्टोर भी तो हैं।

श्री काशीनाथ पांडे : क्या यह सच है कि इन उपभोक्ता स्टोरों को खोलने का उद्देश्य सस्ते मूल्यों पर अच्छी सामग्री का सम्भरण करना था। क्योंकि समितियों को अपनी आवश्यकतायें खुले बाजार से पूरी करनी पड़ती हैं तो क्या इससे इन स्टोरों का उद्देश्य ही समाप्त नहीं हो जाता?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यही कारण है कि इस प्रयोजन के लिये थोक सहकारी समितियां हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या जो खाद्यान्न उपभोक्ता सहकारी समितियों को दिये जाते हैं उनके लिये अर्थसहायता दी जाती है जिसके कि मजदूर को खरीदने के लिये सस्ते पड़ सकें?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : अर्थ सहायता नहीं दी जाती. हम उन्हें थोक मल्यों पर खरीद रहे हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : भारतीय रेलवेज तो भारत सरकार की एक विशाल औद्योगिक उपक्रम हैं। पूरी भारतीय रेलवेज में इस प्रकार की कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां खोल दी गई हैं और इसका क्या कारण है इस उपक्रम में ऐसी सहकारी समितयों की संख्या सबसे कम है?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जहां तक सहकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है मेरे पास अलग अलग आंकड़े हैं। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है इसमें २४५ समितियां हैं जिनमें ३०० या इससे

अधिक कर्मचारीकार्य कर रहे हैं। विद्यमान सहकारी समितियों की संख्या ३०० है उनमें विभिन्न प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं।

श्री भगवत झा आज़ाद : क्या यह सच नहीं है कि इन उपभोक्ता सहकारी समितियों का एक सबसे बड़ा नुक्सान यह है कि गेहूं और अन्य चीज़ों के लिये रुपया जमा होने के बाद भी इन चीज़ों के मिलने में इन्हें बहुत दर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब कि इसकी तुलना में गैर-सरकारी व्यापारियों को २४ घण्टे में ही चीज़ें मिल जाती है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैं समझता हूं कि यह बात ठीक ऐसी नहीं है। यदि ऐसी बात है, जैसा कि माननीय सदस्य से मालूम हुआ है, तो हम इसकी जांच करेंगे।

Shri Rameshwaranand : Many Consumer goods, are purchased by Government and exported to foreign countries which results in increase in prices. I wanted to know the action Government are taking to check it?

Mr. Speaker : It is a completely different question.

श्री दाजी : क्या सरकार ने उन आवश्यक वस्तुओं और पदार्थों की एक स्वीकृत सूची तैयार की है जो कि इन स्टोरों में बेची जायेंगी अथवा इनमें केवल अनाज ही बेचा जायेगा ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वह हमने तैयार की है। वास्तव में हम वस्तुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्रों में खोली गई सहकारी समितियां खुले बाज़ार भाव से अधिक मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय करती हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैं नहीं समझता कि यह बात बिल्कुल ठीक है।

श्री विभूति मिश्र : बरौनी जाइए और देखिये।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या मैं यह समझूं कि औद्योगिक उपक्रमों में यह उपभोक्ता सहकारी समितियां औद्योगिक क्षेत्रों में ही स्थापित की जायेंगी अथवा आवासिक क्षेत्रों में और क्या इनमें केवल औद्योगिक कर्मचारी ही सामान खरीद सकेंगे ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वास्तव में प्रश्न यह था कि क्या बम्बई में जहां कि औद्योगिक कर्मचारी दूर-दूर के स्थानों से आते हैं वहां स्टोरों को उन्हीं स्थानों पर खोला जाए जहां कि वे रहते हैं। यहां पर हमारा सम्बन्ध विभिन्न औद्योगिक एककों के इन स्टोरों से है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि इन सहकारी समितियों को स्वयं सरकार का भी सहयोग नहीं मिल रहा है और क्या इन सहकारी समितियों को चीनी का जो कोटा दिया गया था वह लगभग ५०% भी नहीं था और जो चीनी दी गई थी वह कोटा की केवल ६% ही थी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इसका सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के साथ सम्बन्ध है और सरकार का सहयोग न देने का प्रश्न तो उठता ही नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has just stated that they have prepared a list of essential commodities. May I know the names of those commodities.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस सूची में लगभग ८०—९० वस्तुयें हैं। प्रारम्भ में हमने इसमें केवल २० ही रखी थी परन्तु अब हमने इनकी संख्या बढ़ा दी है।

उपभोक्ता मूल्य देशनांक

+

*३७६. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वाजी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सेझियान :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० वारादीश राय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ फरवरी, १९६३ तथा १ फरवरी १९६४, को निर्वाह व्यय अथवा उपभोक्ता मूल्य देशनांक क्या थे?

(ख) क्या महंगाई भत्ते को उक्त देशनांक में जोड़ने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो महंगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य देशनांक से जोड़ने का तरीका क्या होगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): (क) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनांक फरवरी, १९६३ में १२९ था। फरवरी, १९६४ के लिए जानकारी अभी उपलब्ध नहीं।

(ख) रोजगार के कुछ क्षेत्रों में महंगाई भत्ता पहले ही उपभोक्ता मूल्य देशनांक के साथ जुड़ा हुआ है और यह ट्रिब्यूनलों के करारों अथवा एवार्डों के अनुसार है।

(ग) इसका संचालन ऐसे करारों तथा एवार्डों की शर्तों के अनुसार बदलता रहता है। इससे निर्वाह व्यय में वृद्धि की ६० से लेकर शत प्रतिशत भाग तक की पूर्ति होती है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि माननीय गृह मंत्री, श्री नन्दा, ने एक सम्मेलन या गोष्ठी या बैठक में गत जनवरी में अर्थात् दो महीने हुए स्वीकार किया था कि उपभोक्ता मूल्य सूचनांक की किसी के द्वारा गलत गणना की गई है, और यदि हां, तो इस बात का पता लगाने के लिए कि निर्वाह लागत मूल्यांकन की गलत गणना करने के लिए कौन जिम्मेदार था, कोई जांच की गई है और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह सच है कि उन्होंने माना है कि चीजों के आंकड़े सही नहीं थे। यह आरोप बम्बई के कर्मचारी संघ द्वारा लगाया गया था और माननीय मंत्री ने स्वीकार किया कि कुछ चीजों के सम्बन्ध में आंकड़े सही नहीं हैं। अब हम आंकड़ों को ठीक कर रहे हैं। वास्तव में १९६० के आंकड़े लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनको प्रकाशित भी किया जा रहा है। वास्तव में महाराष्ट्र

2466 (Ai) LSD—2.

सरकार यह काम कर रही है। आंकड़े प्रकाशित किये जा रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने आंकड़े स्वीकार नहीं किये और हम उनके साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे खेद है कि उत्तर उपमंत्री ने नहीं दिया। वह कहते हैं कि भविष्य के लिये सरकार कुछ कर रही है। क्या गलत गणना करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को मालूम करने के लिये कोई जांच की गई है, और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जैसा मैंने बताया, जब संभव होगा, भत्तों को नवीन श्रृंखला के साथ जोड़ना होगा। वास्तव में मैं यही उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा था। महंगाई भत्ते के लिये, भत्तों की नवीन श्रृंखला के साथ जोड़ना होगा और पुरानी श्रृंखला में त्रुटि को ठीक करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि उपमंत्री ने स्वीकार किया है कि गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या उस गलत संगणना के लिये कोई व्यक्ति जिम्मेवार पाया गया है और क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वास्तव में, यह एक व्यक्ति का मामला है, यह वास्तव में एक ब्यूरो है, श्रम ब्यूरो ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं समझता हूं ब्यूरो में कुछ लोग होंगे।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : श्रम ब्यूरो इन सभी आंकड़ों को जमा करता है और वे आंकड़े प्रकाशित होते हैं। वास्तव में मेरे पास दिसम्बर १९६३ के आंकड़े हैं। परन्तु यह सच कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों के आंकड़े मिले थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि श्रम ब्यूरो में कुछ लोग होते हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : हम अन्दर ही अन्दर जांच कर रहे हैं।

श्री वारियर : बम्बई तथा अहमदाबाद समितियों के निष्कर्षों को देखते हुए क्या सरकार, जहां कहीं गलत संगणना हुई है उसको ठीक करने के लिये अखिल भारतीय सूचनांक सर्वेक्षण करने का विचार करती है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सर्वेक्षण केवल उद्योग के सम्बन्ध में ही नहीं होता, हम विभिन्न क्षेत्रों के लिये पृथक पृथक आंकड़े भी प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें बागान भी शामिल हैं और उन आंकड़ों को प्रकाशित किया जा रहा है।

जहां तक गलती का सम्बन्ध है, मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि आवश्यकता हुई तो हम कार्रवाई करेंगे इसकी जांच की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में २, ५ और १० रुपये की हाल में हुई वृद्धि के द्वारा १२५ तक भावों का अन्तर दूर किया है जो १९६१ में था ? यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार १९६३ की बढ़ी हुई निर्वाह लागत को देखते हुए महंगाई भत्ते में अग्रेतर संशोधन करने का निर्णय कर रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभीरामन् : ७० से १०० प्रतिशत अन्तर तक दूर किया गया है। बहुत से मामलों में १०० प्रतिशत तक अन्तर दूर है। यह सच है कि अंक १२५ है । हम इसको ध्यान में

रखते हैं और इस पर विचार करते हैं। यह सच है कि हम सब कर्मचारियों के लिये इसकी व्यवस्था करने में असमर्थ हैं क्योंकि समस्त जन संख्या का प्रश्न है और हम केवल औद्योगिक कर्मचारियों को अलग नहीं कर सकते ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने समस्त देश के बारे में नहीं पूछा ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इसका विचार किया जा रहा है ।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन में निर्णय किया गया था कि महंगाई भत्ते को निर्वाह व्यय सूचनांक के साथ मिलाना चाहिये और सरकार को उसके लिये कार्रवाई करनी चाहिये। उस निर्णय के अनुसार औद्योगिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को निर्वाह लागत सूचनांक के साथ मिलाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सामान्य नियम इसको मिलाने का है। किन्तु न्यायाधिकरणों के कुछ पंचाट हैं, जिनमें अन्तर है। कुछ मामलों में कर्मचारियों और मालिकों के बीच समझौते भी हुए हैं। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सामान्यतया हम इसके साथ सम्पर्क में हैं ।

श्री नाथपाई : क्या माननीय मंत्री को पता है कि वर्तमान अखिल भारतीय निर्वाह लागत सूचनांक का बाजार में प्रचलित मूल्य सूचनांक की यथार्थता से कोई सम्बन्ध नहीं है और गलत संगणना के आधार पर गलत सूचनांक निकाला गया है ? दूसरे, क्या नवीन सूत्र पर पहुंचने के लिए जांच खुली होगी और गुप्त रूप से नहीं होगी, जिस प्रकार यह आज की जाती है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह गुप्त रूप से नहीं की जाती ।

श्री नाथ पाई : यह गुप्त रूप से की जाती है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वास्तव में, यह ब्यूरो इन आंकड़ों को जमा करने के लिये है। यह शिमला में है। अधिकतर निष्कर्ष श्रम पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इनको देख सकता है ।

श्री नाथ पाई : मेरा प्रश्न समझा नहीं गया। वह गलतफहमियों में पड़े हैं कि निर्वाह लागत सूचनांक बनाने का काम खुली सार्वजनिक जांच के पश्चात् किया जाता है, जिसमें लोग आकर साक्ष्य दे सकते हैं उनको बुलाया जाता है। आज ऐसा नहीं होता जिसके परिणामस्वरूप गलत निष्कर्ष निकाले जाते हैं ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इन आंकड़ों को एकत्र करने की नियमित प्रक्रिया है । जो लोग इनको नापा करते हैं, वे इस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। वे कुछ वस्तुओं के कीमतों सम्बन्धी आंकड़े विविध स्थानों पर जमा करते हैं। संभव है कि कहीं कुछ अन्तर हो। उदाहरणार्थ आयातित गेहूं से देशी गेहूं के दाम थोड़े अधिक हो सकते हैं। वे इस मामले पर निगरानी कर रहे हैं ।

श्री नाथ पाई : उन्होंने श्री कामत के प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि एक गलती हो गई थी। वह मेरे प्रश्न का सीधे उत्तर दे कर दूसरी गलती कर रहे हैं। यह गलती संयोगवश नहीं

है। उनके निष्कर्ष निकालने के लिये अपनाये गये तरीकों में ही गलती निहित है। अतः मैं पुनः पूछ रहा हूं कि क्या नवीन अंक निर्धारण खुली सार्वजनिक जांच के आधार पर होगा।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह वास्तव में जांच नहीं है। वे आंकड़े जमा करते हैं। किन्तु यह जांच न्यायालय के रूप में किया है, यह भिन्न मामला है। हमें इसका विचार करना होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री ने कहा है कि १ फरवरी, १९६४ को निर्वाह लागत सूचनांक प्राप्य नहीं। क्या मंत्री जी को पता है कि गत छः महीनों में सूचनांक में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है? यदि हां, तो भारत सरकार के पास भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत बहुत व्यापक अधिकार होने के बावजूद, इसका कारण यह है कि सरकार या तो इसको सम्भालने में या तो इच्छा नहीं करती या असमर्थ और अयोग्य तो तीनों हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : निस्संदेह हाल ही में कुछ वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई है। यदि आवश्यकता है, तो मैं दिसम्बर १९६३ तक का ब्योरा सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार चाहती नहीं या असमर्थ एवं अयोग्य है ?

श्री श्याम लाल सर्राफ : सही निष्कर्षों पर पहुंचने के उद्देश्य से इन सूचनांकों को तैयार करने में किन सरकारी या गैर सरकारी अधिकरणों को लगाया जाता है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : श्रम ब्यूरो के पास अपने अधिकारी हैं। वे स्थानों पर जाते हैं। वे स्थानीय लोगों को साथ मिला सकते हैं और जांच करते हैं तथा आंकड़े एकत्र करते हैं।

श्री इकबाल सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता सूचनांक पर ध्यान देने का विचार है, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मुझे पता नहीं।

श्री काशीनाथ पांडेय : क्या यह सच नहीं है कि श्रम स्थायी समिति की पिछली बैठक में सिद्धान्त में यह निर्णय किया गया था कि महंगाई भत्ते का बढ़ती हुई निर्वाह लागत के साथ मिला दिया जाएगा, किन्तु कार्रवाई को लिखते समय, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया, अतः श्रम संघों ने इस की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ? क्या अपेक्षित संशोधन किया गया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मजूरी गणना श्रम अनुसंधान समिति के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचनांक में मिलाये गये महंगाई भत्ते का भुगतान संख्या कपड़ा निर्माण, बाइसिकल निर्माण और मरम्मत, पेट्रोलियम शोधन कारखाने, साबुन फैक्टरियों, तम्बाकू ठीक करना कारखाने, कोयला खानों और नारियल जटा उद्योग में समान है। यहां मेरे पास बड़ी सूची है। महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचनांकों में चीनी, सीमेंट, पटसन उद्योगों और बैंकिंग तथा बीमा समवायों में जोड़ दिया गया है।

श्री मुहम्मद इलियास : क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने इन मूल्य सूचकांकों को गिनने में अपनी गलती स्वीकार कर ली है, क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में सभी मूल्य सूचकांकों को ठीक करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : अधिक समय नहीं लगेगा ।

आकाश वाणी पर विदेशों के लिए प्रसार

+

*३७७. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री कोला वेंकैया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में तेलुगु भाषी भारतीय कितने प्रतिशत हैं ;

(ख) आकाशवाणी पर प्रति दिन भिन्न भिन्न दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिये भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रसारित कार्यक्रम प्रतिदिन कितने समय का होता है ;

(ग) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिये आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में कुछ और प्रादेशिक भाषाओं को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २४३३/६४]**

(ग) जी नहीं ।

(घ) आकाशवाणी के तकनीकी उपकरण सम्बन्धी वर्तमान साधन इतने नहीं हैं कि इस की विदेश सेवाओं में कोई नया कार्यक्रम जोड़ा जा सके। कुछ विदेशी भाषाओं के कार्यक्रम भी, जिनका प्रसार विदेशी श्रोताओं को भारतीय दृष्टिकोण से अवगत करने के लिये आवश्यक माना जाता है, साधनों की कमी के कारण इस समय जारी नहीं किए जा सकते।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : पटल पर रखे गए विवरण से हम पाते हैं कि तमिल को इन प्रसारों के लिये दो घंटे आवंटित किये गये हैं जो विदेशी श्रोताओं को किये जाते हैं। क्या मैं मा० मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करा सकता हूं कि सभी दक्षिण भारतीय, चाहे उनकी कोई भी भाषा हो, तमिल भाषी माने जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि यद्यपि वहां उस क्षेत्र में तेलगु भाषी लोग बड़ी संख्या में हैं, उन को इस प्रसार से कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती ? यदि ऐसी स्थिति है तो क्या मंत्री तेलगु को जारी करने की वांछनीयता का विचार करेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं नहीं मानता कि सभी दक्षिण भारतीय लोगों को तमिल भाषी माना जाता है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि रंगून और दूसरे बहुत से क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से तेलगु भाषी भारतीयों ने, जहां वे तेलगु भाषा का एक सप्ताहिक पत्र भी चला रहे हैं, इस सरकार को अभ्यावेदन भेजा है जिस में तमिल प्रसारों के लिये आवंटित समय में तेलगु जारी करने के लिये कहा गया है, यदि हां, तो सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह बहुत पुराना प्रश्न है। इस प्रश्न पर १९५५ से विचार तथापुन-विचार हुआ है। एक बार, मंत्री मंडल ने भी वर्ष १९५५ में इस पर विचार किया था और यह निर्णय किया था कि तेलगु में विशेष सूचना प्रसार जारी करना जरूरी नहीं है। मैं मा० सदस्य के सूचनार्थ यह बता दूं कि तमिल मे शास्त्रीय मौखिक संगीत कार्यक्रम मे ५०% तेलगु भाषा में होता है।

श्री नाथ पाई : तमिल में से ५० प्रतिशत तेलगु होता है, हम यह समझ नहीं सके।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि प्रत्यक्षत: यह बताया जाता है कि कार्यक्रम तमिल मे हैं, किन्तु वास्तविक प्रसार में ५०% संगीत तेलगु में होता है।

श्री सत्य नारायण सिंह : शास्त्रीय संगीत अधिकतर तेलगु भाषा में होता है ।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे खेद है कि अन्य भाषाओं में वैदेशिक प्रसार का क्षेत्र बढ़ाने में भारत सरकार ने असमर्थता दर्शायी है, क्या इस समय किया गया प्रसार अब भी दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में सुना जाता है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : सभा को मालूम है कि हमारा ट्रांसमीटर कमजोर होने के कारण यह संभव नहीं, अत: हम उच्च शक्ति वाले ट्रांसमिटर की तलाश में हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या वायस आफ अमरीका करार अन्तिम रूप में समाप्त घोषित किया जा सकता है और यदि हां, तो अधिक शक्तिशाली ट्रांसमिटर प्राप्त करने लिये क्या किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर दो दिन पहले दिया गया था।

श्री हेडा : क्या सरकार को मालूम है कि खनन, बागान या धान की खेती करने वाले अधिकांश मजदूर तेलगु बहुत अच्छी तरह जान्ते हैं और बहुत कम तमिल, किन्तु इस श्रेणी का नेतृत्व सर्वथा तमिल लोगों के हैं और यदि हां, तो क्या सरकार अपने प्रसार का अधिक काम तेलगु में करने का विचार करती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कारवाई का सुझाव है।

Shri Yashpal Singh : More than ten lacs of Punjabi-speaking people are living in South-East Asia. Will any programmes in Punjabi will be broadcast for them ?

Shri Satya Narayan Sinha : I had expressed inability. At present the most basic requirement is to broadcast in those languages which are spoken in South-East Asian Countries, so that we may be able to make them understand India's point of view. We are trying for that. At present introduction of broadcasting in other Indian languages is more or less not possible.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को मालूम है कि आसाम में किसी स्थान से कोई गुप्त रेडियों स्टेशन अजीब ढंग से चल रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ौसी देशों को प्रसार कर रहा है, और यदि

हां, तो क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि इस रेडियो स्टेशन का प्रसार हमारे प्रसार में कितना हस्तक्षेप करता है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे खेद है : मुझे सूचना नहीं। मा० सदस्य मुझे लिख सकते हैं और हम इस बात की जांच करेंगे।

श्री हेम बरुआ : मैंने सूचना दी है। मैं यह भी बता सकता हूं कि यह गुप्त स्टेशन गौहाटी से चल रहा है ... (**अन्तर्बाधा**)

श्री सत्य नारायण सिंह : पड़ौसी देशों में हमारे प्रसार के महत्व को देखते हुए क्या सरकार ने नैपाल, पशतो और सिंहल भाषाओं में प्रसार प्रारम्भ करने की संभावना का विचार किया है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जी नहीं, नेपाली में हमारा प्रसार होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सिंहली में ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह भिन्न बात है।

डा० सरोजिनी महिषी : दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों के लिये अपर्याप्त व्यवस्था की दृष्टि से, सरकार भारत के दृष्टिकोण का प्रसार करने के लिये आवश्यक तकनीकी उपकरण कब प्राप्त करने का विचार करती है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : प्रत्येक को मालूम है कि हम अधिक शक्तिशाली ट्रांसमिटर लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके आते ही सभी कठिनाइयां हल हो जायेंगी।

श्रीमती सावित्री निगम : समाचार प्रसार साधनों के अभाव में आरंभ नहीं किया जा सकता। क्या स्वाहिली, अरबी और लेबनानी भाषाओं में प्रसार करने के लिये समायोजन किया जा रहा है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं नहीं समझता कि इस समय इन भाषाओं में भी कोई प्रसार किया जाता है। मुख्य कठिनाई तकनीकी साधनों की है।

श्री जोकीम आल्वा : हम प्रति दिन दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रदेश की ७ घंटे और १५ मिनट दे रहे हैं। क्या हम इस क्षेत्र में पेकिंग का प्रसार सुन सके हैं ; और यदि हां, तो पेकिंग के प्रसार के मुकाबिले हमारा प्रसार कितने प्रतिशत होता है।

श्री सत्य नारायण सिंह : खेद है कि मैं सूचना नहीं दे सकता।

श्री हेम बरुआ : इस का देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अत: मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मंत्री को सूचना एकत्र करने का आदेश दें। क्योंकि इन सभी प्रसारणों को सुनने में हमारी सुरक्षा अन्तग्रस्त है। (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इस का ध्यान रखेंगे।

त्रिपुरा से मुसलमानों का कथित निष्कासन

+

*३७८. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पूर्वी पाकिस्तान में लन्दन से प्रकाशित "टाइम्स" के कोमिला स्थित विशेष संवाददाता द्वारा ६ दिसम्बर, १९६४ को भेजे गये उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि त्रिपुरा में रहने वाले भारतीय मुसलमानों को उनके घरों से बलपूर्वक निष्कासित करके पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां।

(ख) सरकार का यह ख्याल था कि भारत से मुसलमानों के तथाकथित निष्कासन के सम्बन्ध में ६ दिसम्बर, १९६३ के लन्दन टाइम्स में प्रकाशित समाचार पाकिस्तानी कथन पर आधारित और बिलकुल एकतरफा है। इस लिये सरकार ने लन्दन स्थित अपने दूतावास को लन्दन टाइम्स के सम्पादक से इस बारे में पूछताछ करने के लिये कहा है। लन्दन स्थित कार्यकारी हाइकमिश्नर ने ठीक ठीक तथ्यों वाला एक पत्र टाइम्स को भेजा है और सम्पादक से प्रार्थना की है कि वे इस पत्र को अपने अखबार में छाप दें।

लन्दन टाइम्स के नयी दिल्ली स्थित प्रतिनिधि को आसाम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानियों के अनधिकृत प्रवेश की समस्या पर चर्चा करने के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कमचारी ने बुलाया था ताकि उसे समस्या के परिमाण की और दूसरी पेचिदगियों को सही सही तस्वीर बनायी जा सकी। लन्दन टाइम्स के संवाददाता ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय मे १४ दिसम्बर, १९६३ को भेंट की और पूरी चर्चा के बाद अपने अखबार को एक दूसरी रिपोर्ट भेजी जिसमें अनधिकृत प्रवेश को समस्या के तथ्य और आकड़े और दूसरे ब्योरे दिये गये हैं। इस रिपोर्ट से किसी हद तक यह धारणा दूर हो गयी जो ६ दिसम्बर, १९६३ को टाइम्स में प्रकाशित समाचार से उत्पन्न हुई थी। यह दूसरी रिपोर्ट १६ दिसम्बर, १९६३ के लन्दन टाइम्स में प्रकाशित हुई थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लन्दन में हमारे हाई कमिश्नर द्वारा जो मूल पत्र या वक्तव्य जारी किया गया था, क्या वह टाइम्स ने छापा था ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं, वह प्रकाशित नहीं किया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या सरकार इस बात के लिये कोई अतिरिक्त कारवाइयां कर रही है जिससे अनधिकृत रूप से आये हुए लोगों के मामलों में किसी प्रकार की गलती या गलत शिनाख्त आदि के मामलों को पूरी तरह से दूर किया जा सके ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: हर सावधानी बरती जाती है और वास्तव में बकी लोंकी एक समिति नियुक्त की गयी थी और उसने यह देखा कि जितने मामलों की जांच की गयी थी उन में केवल एक ही संदिग्ध मामला है।

श्री मुहम्मद इलियास: गृह कार्य मंत्री श्री नन्दा ने जिस न्यायाधिकरण का आश्वासन दिया था क्या वह उन सभी मामलों की जांच करेगा जिनमें लोग पाकिस्तान से भारत में अवैध रूप में आये हैं, और क्या उन मामलों की जांच की जायगी ताकि किसी निर्दोष मुस्लिम को तकलीफ न हो ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री): उन मामलों की जांच के सम्बन्ध में भारत सरकार ने त्रिपुरा सरकार को निश्चित हिदायतें दी हैं और ये लोग पाकिस्तान चले जाने के तुरन्त बाद उन लोगों का निस्कासन रोकने के लिये हमने हिदायतें जारी की थीं।

श्री नाथ पाई : वैदेशिक कार्य मंत्री ने बताया कि लन्दन स्थित हमारे कार्यकारी हाई कमिश्नर का स्पष्टीकरण प्रकाशित नहीं किया गया था और लन्दन टाइम्स ने उसे प्रकाशित करने से इन्कार कर दिया। लेकिन आज अखबारों में हमने यह भी पढ़ा कि नैरोबी स्थित भारतीय हाइकमिश्नर का यह स्पष्टीकरण कि बख्शी गुलाममुहम्मद द्वारा लिखित तथा कथित पत्र एक जालसाजी थी, उस पत्र ने प्रकाशित नहीं किया और उसने जाली पत्र छाप दिया। क्या हम प्रधान मंत्री से पूछ सकते हैं कि क्या यह तथाकथित राष्ट्र मंडल के सम्बन्ध की गैर सचाई या विदेशों में इस सरकार के गिरते हुए प्रभाव का द्योतक है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह पत्र लंबाई के कारण प्रकाशित नहीं किया गया था। उन्होने यह भी कहा कि इसे ३०० शब्दों तक घटा दिया जाय। ३०० शब्दों में हम ठीक ठीक जानकारी नहीं दे सके।

श्री नाथ पाई : मैंने अधिक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। वह उसे टालते क्यों हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दो विकल्प रखे हैं। सरकार एक भी मंजूर करने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अ० प्र० जैन : लन्दन टाइम्स को भेजा गया पत्र जब प्रकाशित नहीं किया गया तब क्या खंडन का सारांश या वह पत्र इंग्लैंड के अन्य पत्रों में प्रकाशित कराने का प्रयत्न किया गया था ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे नहीं मालूम। लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि लन्दन टाइम्स के प्रतिनिधि को बुलाकर मंत्रालय ने शुद्धिकरण किया था।

श्री लालबहादुर शास्त्री : मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों ने वह उत्तर सुना है कि खंडन जारी किया गया था और १६ दिसम्बर, १९६३ को उसी अखबार ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया था। हमें उससे पूरी तरह संतोष भले ही न हो लेकिन टाइम्स में प्रकाशित वक्तव्य से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गयी।

श्री त्यागी : जब कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सभी प्रकार का प्रचार कर रहा है और उसकी नीति के फलस्वरूप ३५,००० ईसाइयों सहित ७५,००० लोग गारो पहाड़ियों में चले आये हैं, हमारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों का उचित प्रचार करने में क्यों असमर्थ है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री त्यागी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रचार किया गया है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्य जानते हैं कि विदेशी और हमारे संवाददाता वहां गये और उन्होंने शरणार्थियों से मुलाकात की और उन्होंने जो कुछ देखा उसी का पूरा पूरा प्रचार किया।

श्री त्यागी : भारत में भी इसका पूरा प्रचार नहीं किया गया (**अन्तर्बाधा**) । क्या यह प्रचार को दबाने की नीति है ?

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल नहीं (**अन्तर्बाधा**), शान्ति, शान्ति, इस पर भाषण नहीं होने चाहियें ।

श्री नाथ पाई : इससे सभा की चिन्ता व्यक्त होती है ।

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to know the number of muslims in Tripura as stated by Indian High Commissioner to London Times Correspondent and nature of Constitutional measures adopted for evicting them ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पहले सत्र में निष्कासित पाकिस्तानियों की संख्या ४७,००० प्रकाशित की गयी थी लेकिन सही संख्या केवल २०,००० है । यह दूसरे पत्र में प्रकाशित की गयी थी ।

अध्यक्ष महोदय : हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने प्रतिनिधि को बुलाया और सही स्थिति समझायो कि उचित जांच पड़ताल के बाद हम किस तरह उन्हें निकाल रहे हैं । प्रश्न यह है कि यह जांच किस तरह की जाती है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे खेद है कि अब भी मुझे सवाल ठीक तरह समझ में नहीं आ रहा है ।

Shri Lal Bahadur Shastri : It was told to hon. Member how we serve notice. After the notice is served, enquiry is made and they get an opportunity to give them statement which is scrutinised by office. It is our internal matter but they were told that it was own way. Out of 44,000, about 20,000 went without any enquiry. Many of them did not get notice and many went without quit notice. This was also told to them.

शेख अब्दुल्ला द्वारा भेजा गया पत्र

\+

*३७९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री गुलशन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेख अब्दुल्ला का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकार से जम्मू तथा काश्मीर की वर्तमान स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) जम्मू और काश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में एक पत्र शेख अब्दुल्ला से प्राप्त हुआ था ।

(ख) इस पत्र की बातें बताना लोकहित में उपयुक्त नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस पत्र के बाद और जम्मू और काश्मीर के नये मुख्य मंत्री श्री सादिक के इस बयान के बाद कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई के प्रश्न पर विचार करना राजनीतिक दृष्टि से उपयुक्त होगा क्या भारत सरकार ने इस विषय पर नये सिरे से विचार किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं समझता हूं कि वह इस पत्र से और नये मुख्य मंत्री के वक्तव्य से बहुत ज्यादा मतलब निकाल रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इस पत्र के बाद कश्मीर सम्बन्धी विशेष स्थिति के संवैधानिक उपबन्ध हटा देने के विषय पर विचार करने के लिए सरकार को राजी किया गया है ? यदि हां तो किस प्रकार और क्या कश्मीर के मुख्य मंत्री के सुझाव के अनुसार इस मामले की जांच करने के लिए किसी विधिशास्त्रवेत्ता को नियुक्त किया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ये मामले इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे उत्पन्न नहीं होते .....

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस पत्र की बातें हमें लोकहित में नहीं बतायी जा रही हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस पत्र के आधार पर संविधान का अनुच्छेद ३७० रद्द करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह आपको पत्र की बातें बतायें ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जी नहीं, मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि इस पत्र के बारे में उनकी क्या राय है ?

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know whether that letter does not contain any facts' in support of our Government's action in Kashmir ?

Mr. Speaker : The hon. Member has referred to the contents of the letter.

श्री ही०ना० मुकर्जी : कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला की बन्दी के मामले में निकट भविष्य में किसी सुखद परिणाम के लिए सरकार अपनी सदभावना का प्रयोग करेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह जम्मू और कश्मीर में हाल में तय किये गये दूसरे मामलों से बिलकुल अलग है । पिछले कुछ महीनों से जम्मू और कश्मीर सरकार शेख अबदुल्ला की रिहाई पर बराबर विचार कर रही है। अब नयी सरकार इस पर विचार करेगी । वह अवश्य ही हमें उस बारे में सूचित करेगी ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : शेख अब्दुल्ला से पत्र प्राप्त होने के बात प्रश्न पूछने वालों को कैसे मालूम हो गयी ?

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the broad contents of Sheikh Abdulla's letter to Government of India and whether the suggestion to repeal article 370 of the Constitution was also contained in the latter ?

Mr. Speaker : Order, Order.

The Prime Minister, Minister for External Affairs and Minister for Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : All the contents of the letter cannot be disclosed but the letter written in the beginning of January after the theft of Hazratbal relic stated that it was a dangerous act and they were grieved at the incident and it reflected still worse condition there.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : पहले यह कहा गया था कि इस पत्र के सम्बन्ध में कुछ बताना सार्वजनिक हित में नहीं है। अब प्रधान मंत्री ने पत्र की मोटी मोटी बातें और पत्र का मुख्य प्रयोजन बता दिया है। बिना विभाग के मंत्री कहते हैं कि पत्र की बातें बताना सार्वजनिक हित में नहीं और फिर भी प्रधान मंत्री ने विस्तृत जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने शायद यह सोचा कि उतना हिस्सा बताने में कोई हानि नहीं है इसलिए उन्होंने बता दिया।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार मंत्रिमंडल प्रणाली के अन्तर्गत संगठित रूप में काम करती है और एक मंत्री सदा ही सारी सरकार की ओर से बोलता है। प्रधान मंत्री का कथन बिना विभाग के मंत्री के कथन के विरुद्ध है और उन्होंने जो कुछ बताया है वह उनके सहयोगियों के मतानुसार सार्वजनिक हित में नहीं। इन दो बातों में किस तरह मेल बैठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जिस समय प्रश्न पूछा गया था, उस समय मैंने उसके लिए अनुमति नहीं दी लेकिन प्रधान मंत्री ने शायद सोचा कि वह हिस्सा बताया जा सकता है। सदस्यों के लिए यह अच्छा ही हुआ। जब कुछ जानकारी दी गयी है, तब वे उस पर क्यों आपत्ति करते हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : हमें खुशी है कि कुछ जानकारी दी गयी है लेकिन यह एक बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि मंत्रिमंडल अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच नहीं है कि इस पत्र में शेख अब्दुल्ला ने इस आरोप का खंडन किया है कि उसके विचार सदा ही पाकिस्तान के पक्ष में रहे, और उसने राज्य के पूर्ण विलय के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ पूरी तरह सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं पत्र की बातें बताने के लिए कह दूं ?

श्री नाथ पाई : मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में इस खामोशी का क्या मतलब है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कि उसे बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।

श्री नाथ पाई : यदि ऐसा है तो वह बतायें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या शेख अब्दुल्ला को कोई जवाब भेजा गया था और यदि हां तो वह क्या था ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह स्वाभाविक ही था कि शेख अब्दुल्ला को उत्तर भेज दिया जाये।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान आज सुबह के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जम्मू और कश्मीर के विभाजन और स्वायत्तशासिता के लिए ब्रिटेन और अमरीका ने एक नयी राजनीतिक चाल चली है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इस पत्र से सम्बन्धित है ?

श्री हेम बरुआ : यह निर्णय आप को करना है कि वह संगत और उससे सम्बन्धित है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री हेम बरुआ : क्या हमें ब्रिटेन और अमरीका का यह प्रयत्न नहीं कहा जा सकता कि शेख अब्दुल्ला का मामला जीवित रखा जाय ? यदि हां तो इस प्रश्न से शेख अब्दुल्ला के पत्र और इस सरकार का कुछ सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : वह सम्बन्ध बहुत शिथिल है ।

Shri Ram Sevak Yadav: The Prime Minister has stated that Sheikh Abdullah was grieved at the theft of sacred hair and the situation resulting therefrom and therefore, he addressed that letter. I would like to know whether he wrote anything in addition to it and since he has expressed concern in this respect whether Government of India would take up the matter of his release?

अध्यक्ष महोदय : इसे बताना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

सस्ते अनाज की दुकानें

\+

*३८०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री उमानाथ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे औद्योगिक कारखानों में जिनमें ३०० से अधिक मजदूर काम करते हों, सस्ते अनाज की दुकानें खोलने के कार्यक्रम में कोई खास प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी दुकानों की व्यवस्था को मालिकों पर अनिवार्यत: लागू करने का है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सहकारी भंडार/सस्ती दूकानें खोलने की योजना की प्रगति की समीक्षा स्थायी श्रमिक समिति ने दिसम्बर, १९६३ में की थी और प्रबन्धकों को उन्हें चालू करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था अर्थात २९ फरवरी, १९६४ तक। इस समय औद्योगिक कर्मचारियों के लिए १३१८ उपभोक्ता सहकारी भंडार और ३६६ सस्ती दूकानें चालू हैं।

(ख) और (ग). अब स्थिति की समीक्षा की जायगी क्योंकि लक्ष्य-तिथि कुछ ही दिन पहले समाप्त हो गई है और अब भी स्थिति असंतोषजनक हो तो उसके लिए विधान बनाने पर विचार करना होगा ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether the prices are uniform in these shops and there are different rates in different States ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी क्षेत्र और राज्यों के सम्बन्ध मे हमारे पास अलग अलग आंकड़े हैं। विचार यह है कि थोक कीमतें एक जैसी ही हों।

Shri Yashpal Singh: Has the fact was kept in view at the time of opening fair price shops that the work be entrusted to workers in their colonies and they should distribute foodgrains?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : सस्ती दूकानों मे, नगद दाम देना होता है। यहां वे उधार खरीद सकते हैं। यही मुख्य लाभ है। इसीलिए मज़दूर इन भंडारों की मांग कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या ये दुकानें राशनिंग विभाग ने खोली हैं या वे सस्ते अनाज के भंडार हैं और यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें सहायता देती है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वे सस्ती दूकानें हैं, सस्ते अनाज के भंडार नहीं हैं।

श्री दाजी : क्या सरकार जानती है कि भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस और अखिल भारतीय मज़दूर कांग्रेस ने इन भंडारों की स्थापना पर असन्तोष व्यक्त किया है ? उसके आंकड़ों के बारे में सरकार की क्या राय है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : ६० प्रतिशत कार्यान्वियन किया गया हैं, अभी तीन दिन पहले ही तारीख खत्म हुई है और हम जानकारी की छानबीन कर रहे हैं।

पाकिस्तानी विमानों द्वारा वायुसीमा का उल्लंघन

\+

*३८१. **श्री नाथपाई :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य सीमा पर पाकिस्तानी विमानों द्वारा और वायुसीमा का उल्लंघन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) १९६३ में पाकिस्तानी विमानों द्वारा वायुसीमा के ऐसे उल्लंघन कितनी बार किये गये थे ; और

(घ) सरकार द्वारा मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) सरकार के पास अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछली बार २ जनवरी, १९६४ को उल्लंघन किया गया था।

(ख) पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेज दिया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(ग) और (घ). वर्ष १९६३ में त्रिपुरा के ऊपर भारतीय वायुसीमा का १३ बार उल्लंघन किया गया। सभी उल्लंघनों के सम्बन्ध मे पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेज दिये गये। पांच उल्लंघनों के सम्बन्ध मे पाकिस्तान सरकार से उत्तर प्राप्त हो गये हैं और उन्होंने उल्लंघन करने से इन्कार किया है। बाकी आठ उल्लंघनों के सम्बन्ध में पाकिरतान सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार यह समझती है कि पाकिस्तान द्वारा लगातार और निर्धारित रूप से किये जा रहे उल्लंघन विरोध-पत्र भेज कर समाप्त नहीं होंगे अपितु उल्लंघन करने वाले विमान को रोकने और उसे दण्ड देने की हमारी क्षमता पर ही रोके जा सकते हैं और यदि हां, तो इस विषय में क्या प्रगति की गयी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : श्रीमान् जी, लगता है कि माननीय सदस्य ठीक बात कह रहे हैं। परन्तु इसी समय लड़ाई में पहल करने (आपरेशनल प्रायरिटीज़) को भी ध्यान में रखना होगा इस मामले में मैं नहीं समझता कि पिछले वर्ष कुछ कार्यवाही करना उचित था लेकिन निश्चय ही इस मामले पर दुबारा विचार करना पड़ेगा।

श्री नाथ पाई : क्या प्रतिरक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री को पता है कि पाकिस्तान के इस प्रकार उल्लंघन करने से इस देश के विरुद्ध केवल उसके आक्रामक इरादों का ही पता नहीं चलता है परन्तु इससे पाकिस्तान की वायु सम्बन्धी शक्ति का भी पता चलता है और आपके इन्कार करने पर या जहाज़ को न रोक सकने पर विश्वमत इसको शान्तिपूर्ण समझौते के लिये एक विज्ञापन के रूप मे नहीं समझेगा।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रश्न पूछने से पहले एक विस्तृत वक्तव्य न दिया जाए।

श्री नाथ पाई : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार बार-बार उल्लंघन किये जाने से हमारे देश के विरुद्ध पाकिस्तान के आक्रामक रवैये का ही पता नहीं चलता है बल्कि एक प्रकार से वे हमारे शान्तिपूर्ण इरादों का इतना परिचय नही देते जितना कि हमारी वायु-सीमा सम्बन्धी कमजोरी और पाकिस्तान की वायु-सीमा सम्बन्धी शक्ति का परिचय देते है और यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ये वायु-सीमा उल्लंघन किसी तरह से भी पाकिस्तान की वायु-सीमा सम्बन्धी शक्ति का परिचय नहीं देते। इनसे केवल पाकिस्तान की छेड़छाड़ की आदत का पता चलता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय प्रतिरक्ष कालेज

*३७४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ९ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज इस बीच पुनः खुल गया है और यदि हां, तो वह कितने समय बन्द रहा ;

(ख) इसके बन्द होने के मुख्य कारण क्या थे ;

(ग) बन्द होते समय इसकी प्रशिक्षण क्षमता क्या थी तथा पुन: खुलने के बाद क्या वह क्षमता बढ़ाई गई है और यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) क्या वर्तमान आपातकाल को ध्यान मे रखते हुए पाठ्यक्रम में तथा उसकी अवधि मे कोई परिवर्तन किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज ८ ½ महीने बन्द रहने के बाद १५ जनवरी, १९६४ को पुन: खुल गया है।

(ख) क्योंकि यह कालिज मुख्यत: वरिष्ठ सेवा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये है और क्योंकि इन पदाधिकारियों को अन्यत्र महत्वपूर्ण ड्यूटी के लिये काफी बड़ी मांग है, कालिज में प्रशिक्षण के लिये उनको छोड़ना संभव नही था।

(ग) कालिज के बन्द होने के समय इसकी क्षमता ३४ पदाधिकारी विद्यार्थियों की थी और आज भी वही क्षमता है ।

(घ) जी, नहीं ।

राष्ट्रमंडल के प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों का सम्मेलन

*३८२. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६४ में राष्ट्रमंडल के प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन देशों ने भाग लिया था ;

(ग) उसमें क्या निर्णय लिये गये थे ; और

(घ) क्या भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) राष्ट्रमंडल प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन के तत्वावधान में एक संक्षारण सम्बन्धी गोष्ठी[1] हुई ।

(ख) छः राष्ट्रमंडलीय देशों ने भाग लिया ।

(ग) संक्षारण रोकने के लिये कुछ सिफारिशों पर विचार किया गया।

(घ) जी, अभी नहीं । प्रतिवेदन को राष्ट्रमंडल प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन अन्तिम रूप दे रहा है और इसको अनुसमर्थन के लिये और आगे कार्यवाही करने के लिये लन्दन स्थित इसके सचिवालय द्वारा सम्बन्धित सरकारों को भेजा जायेगा ।

[1]Symposium on corrosion.

कर्मचारी भविष्य निधि

३८३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अब तक कुल कितना धन इकट्ठा किया गया है ; और

(ख) इसमें से कितना विनियोजित कर दिया गया है तथा किस प्रकार ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) (क) नवम्बर, १९६३ तक ४७९·७४ करोड़ रुपये ।

(ख) ३० नवम्बर १९६३ को छूट वाले और बगैर छूट वाले संस्थानों से ३४०·६३ करोड़ रुपये की जमा विनियोजित थी। गैर-छूट वाले संस्थानों की जमा का २० प्रतिशत १२ वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्रों और प्रतिरक्षा जमाओं में विनियोजित किया गया है और बाकी ८० प्रतिशत भारत सरकार की अन्य प्रतिभूतियों (राष्ट्रीय रक्षा बांडों समेत) में विनियोजित किया जाता है। छूट वाले संस्थानों के बारे में विनियोजन का कोई निर्धारित तरीका नहीं है बल्कि उनसे इकट्ठी की गयी रकम को इन संस्थाओं को दी गयी छूट की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाता है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*३८४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यवहन का पुनर्विलोकन करने वाली उच्च-स्तरीय समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

Chinese Premier's Flight Over India

*385. **Shri Prakash Vir Shahstri :**
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Gokaran Prasad :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berva :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Chinese Prime Minister has again been permitted to fly over Indian Territory;

2466 (Ai) LSD—3.

(*b*) when and where this flight took place; and

(*c*) whether there was no alternative route for the journey that he performed ?

Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Laskhmi Menon) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Permission was granted for the overflights by Premier Chou En-lai and party on the 4th February, 1964, from Karachi to Dacca and on the 18th February, 1964, from Rangoon to Karachi.

(*c*) The shortest routes for the above mentioned flights would be across Indian air space.

सिंगरेनी कोयला खान दुर्घटना

*३८६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ जनवरी, १९६४ को सिंगरेनी कोयला खान की गौतम खानी, नं० ८ "इन्क्लाइन" की छत गिर जाने के कारण तीन खनिक मर गये तथा चार अन्य घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है कि ऐसी दुघटनाओं से बचने के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किये गये अथवा नहीं ; और

(ग) मृत तथा घायल खनिकों के परिवारों को अनुग्रहात कितना भुगतान किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। एक खान इन्सपेक्टर द्वारा दुर्घटना की जांच की गयी। यह पता लगा कि कोयला खान ने सुरक्षा के सभी उपाय कर लिये हैं।

(ग) कम्पनी द्वारा प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को दाह-संस्कार और अन्य व्यय के लिये १०० रुपये दिये गये हैं ।

उद्योग कोयला के लिये मजूरी बोर्ड

*३८७. **श्री बीनेन भट्टाचार्य :**
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन के कब तक पेश हो जाने की आशा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अब यह विभिन्न कोयला खान क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है और पक्षों की बातों को सुन रहा है। बोर्ड अपने कार्य को यथासंभव शीघ्र समाप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहा है ।

रंगून में भारतीय दूतावास

*३८८. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री स्वैल :
श्री दिगे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रंगून में भारतीय दूतावास भवन पर हाल में ही कुछ भारतीय राष्ट्रजनों ने पत्थर फेंके तथा उसको पर्याप्त क्षति पहुंचाई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा दूतावास की सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) रंगून में भारतीय दूतावास भवन के सामने लगे शीशे पर भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों ने, जो भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ ईंटें फेंकी।

(ख) प्रदर्शन उस एक व्यक्ति ने आरम्भ किया जिसने आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिये आवेदन किया था। क्योंकि कुछ जांच किये बिना उसको आपातकालीन प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सका, वह असंतुष्ट हुआ, अपने कुछ मित्रों को एकत्र कर दूतावास भवन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। दूतावास भवन के प्रवेश द्वार पर लगे अधिकांश शीशे टूट गये।

"ड्रेगन" परियोजना

*३८९. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम राज :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य इंजीनियर के संगठन "ड्रैगन परियोजना" के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। जांच कार्य अभी जारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खानों में खान सुरक्षा समितियां

*३९०. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के मुख्य निरीक्षक से कहा गया है कि कोयला खानों में खान सुरक्षा समितियां स्थापित करवाएं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी समितियां गठित की गई हैं;

(ग) उनके अधिकार तथा कार्य क्या हैं; और

(घ) इन समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधि नामनिर्देशित होते हैं अथवा निर्वाचित होते हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) जुलाई, १९५९ में मुख्य खान नियंत्रक को सभी खान मालिकों को, चाहे वह कोयले के हों या अन्य वस्तुओं के, ऐच्छिक आधार पर सुरक्षा समितियां स्थापित करने का परामर्श देने को कहा गया।

(ख) अगस्त में मुख्य नियंत्रण द्वारा की गयी जांच के बारे में अब तक प्राप्त उत्तरों से प्रतीत होता है कि १५४ खानों में सुरक्षा समितियां बना ली गयी हैं।

(ग) और (घ). इस बारे में अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। मुख्य खान नियंत्रक ने खान प्रबंधकों को परिचालित अपने पत्र में सुझाव दिया कि इन समितियों के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत कार्य समितियों के गठन और कार्यकरण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाये और उनके समक्ष सुरक्षा सम्बन्धी सारे मामले रखे जायें और उन पर विचार किया जाये।

आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा

*३९१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चंद्र सेठ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नाथ पाई :
श्री राम हरख यादव :
श्री कजरोलकर :
श्री स्वैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाटीटिला डूमाबारी क्षेत्र में सीमांकन के बारे में भारत और

पाकिस्तान के महा भूमापकों (सर्वेयर्स जनरलों) के बीच इस वर्ष जनवरी में हुई वार्ता असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी, हां ।

(ख) स्पष्टतः पाकिस्तानी शिष्टमंडल दिल्ली इरादा करके और इस समस्या के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर भी विचार न करने की इच्छा से आया । यही कारण है कि वार्ता विफल रही । जैसा कि भारतीय शिष्टमण्डल ने सुझाव दिया था, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल ने निहित तकनीकी मामलों को सुलझाने या आधार पर बात करने के हर प्रस्ताव से इन्कार कर दिया । वे वार्ता के सारांश को नोट करने, जिसमें दोनों पक्षों के विचार दिये गये हों और जिससे दोनों सरकारों को लाभ हो सके, के अपने पहले करार से भी पीछे हट गये और किसी कार्य-वाही सारांश पर हस्ताक्षर किये बिना ही लौट गये ।

न्यू जेमेहारी खास कोयला खान

*३९२. **श्री उमानाथ :**
श्रीमती विमला देवी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष कार्य पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (आइ एम एफ), धनबाद—जिन्होंने न्यू जेमेहारी खास कोयला खान के प्रबन्धकों के विरुद्ध कदाचारों के विभिन्न आरोपों की मौके पर जांच की थी, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) जी, हां ।

(ख) कोई सिफ़ारिशें नहीं की गयीं । तथापि, उन्होंने मजूरी, वार्षिक वेतन-वृद्धि, छुट्टी के दिनों की मजूरी और रेलगाड़ी किराया और कुछ मामलों में बोनस न दिये जाने सम्बन्धी करार और पंचाट की क्रियान्विति न करने के लिये प्रबन्धकों को उत्तरदायी पाया ।

(ग) इन अनियमितताओं को ठीक करने के लिये प्रबंधकों से और भारतीय खान फेडरेशन से, जिन से प्रबंधक सम्बद्ध हैं, कहा गया है ।

नागा विद्रोहियों द्वारा पुल का उड़ाया जाना

*३९३. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हिम्मतसिंहजी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कछवाय :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री कजरोलकर :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ जनवरी, १९६४ को अथवा उसके आस पास नागा विद्रोहियों ने कोहिमा को मनीपुर से मिलाने वाला करांग पुल उड़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का विवरण क्या है; और

(ग) मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) और (ख). जी, हां । नागा विद्रोहियों ने ११/१२ जनवरी, १९६४ की रात को विस्फोटक पदार्थों द्वारा करांग पुल उड़ा दिया था । बाद में उस स्थान से ½ पौंड डिनेमाइट और ४ फुट लम्बी बिजली की फ्यूज़ तार पायी गयी ।

(ग) सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया है ।

लाहौल और स्पीति घाटी सम्बन्धी डाकुमेन्टरी चित्र

७१७. श्री हेम राज : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लाहौल और स्पीति सम्बन्धी डाकुमेन्टरी चित्र के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : इस चित्र का शूटिंग पूरा हो गया है । समीक्षा लिखी जा रही है ।

तकनीकी सेवाओं में भर्ती

७१८. श्री हेम राज : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा बलों में तकनीकी सेवाओं की भर्ती में कम उत्साह के क्या कारण हैं;

(ख) यह अर्हता-प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों की कमी के कारण है या कम वेतन के कारण; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सेना में स्नातक इंजीनियरों की भर्ती के सिवाय कुल मिलाकर सशस्त्र बलों की तकनीकी सेवाओं में भर्ती संतोषजनक है। कारण असैनिक क्षेत्र में इंजीनियरों की भारी मांग प्रतीत होती है।

(ग) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(१) इंजीनियर स्नातकों को दो वर्ष पीछे की तिथि देना।

(२) केन्द्रीय और राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे अफसरों को दो वर्ष तक अतिरिक्त पूर्व-तिथि देना।

(३) आपातकालीन अथवा अल्प-सेवा नियमित कमीशन दिये गये इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये प्रथम और द्वितीय श्रेणी की इंजीनियरिंग सेवाओं में स्थायी रिक्त स्थानों में से केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकारों द्वारा ५० प्रतिशत रक्षित पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरना।

(४) डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में चुने हुए इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को परीक्षा के तौर पर अल्प-सेवा नियमित कमीशन देना।

(५) इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या बढ़ाने के लिये इंजीनियरिंग कालिजों और संस्थाओं में वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुविधाओं को बढ़ाना।

आन्ध्र प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तर

७१९. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को आन्ध्र प्रदेश में कितने काम दिलाऊ दफ्तर थे;

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६३ को इन काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और अन्डर ग्रेजुएट दर्ज थे; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको एक वर्ष से भी अधिक समय से काम नहीं मिल पाया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) २३।

(ख)

श्रेणी	३१-१२-६३ को चालू रजिस्टर में दर्ज आवेदकों की संख्या
ग्रेजुएट (पोस्ट ग्रेजुएट सहित) .	३,४६०
अन्डर ग्रुजुएट्स . .	५,२१३
मेट्रीकुलेट्स . .	३०,२०२
कुल	३८,८७५

(ग) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

हज तीर्थ यात्री

७२०. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३ और पूर्वगामी पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिये हज तीर्थयात्रियों के लिये कोई कोटा नियत किया गया था ;

(ख) ऊपर दी गई अवधि में हज की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों के मध्य प्रदेश से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ग) उन में से कितने आवेदन पत्र मंजूर किये गये; और

(घ) किन सिद्धान्तों अथवा कसौटी के आधार पर आवेदन पत्रों को जांचा गया, मंजूर किया गया अथवा नामंजूर किया गया ?

प्रधान मंमी, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) १९६३ में या पूर्वगामी पांच वर्षों में हज यात्रियों के लिये राज्यवार कोटा निर्धारित किया गया था।

(ख) हाजियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या का राज्यवार हिसाब नहीं रखा जाता।

(ग) पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश से जिन व्यक्तियों ने हज किया उनकी संख्या निम्न है :—

१९५८	. . . . .	७८२ तीर्थयात्री
१९५९	. . . . .	८२२ ,,
१९६०	. . . . .	८८९ ,,
१९६१	. . . . .	६४४ ,,
१९६२	. . . . .	४१५ ,,

(घ) सामान्य सिद्धान्त यह था कि जिहोंने पहले आवेदन पत्र दिये उन पर पहले गौर किया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हज समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को हज की यात्रा करने की इजाजत नहीं है :—

(१) महिलाएं, जो बम्बई से जहाज पर चढ़ने की तिथि को चार से अधिक महीनों से गर्भवती हों।

(२) वे व्यक्ति जिनके पास हज पर जाने के लिये भारतीय चलार्थ में ८०० रु० से कम की राशि हो।

(३) वे व्यक्ति जिनको निम्न रोग/अशक्तताएं हों :—

(एक) सेरेब्रल थाम्बोसिस

(दो) फुप्फुस तपेदिक (पल्मनरी टुबरक्लोसिस)

(तीन) कंजेस्टिव कार्डियाक फेलियर

(चार) संक्रामक कोढ़, अथवा

(पांच) अन्य गम्भीर संक्रामक रोग।

(४) ५—१४ साल तक की आयु के बालक।

(५) वे व्यक्ति जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में हज किया हो।

(६) पंचवर्षीय सीमा हज़े बदल पर जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होती थी।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर रडार

७२१. श्री यशपाल सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीनगर हवाई अड्डे पर रडार लगाने का विचार कर रही है जिससे कि काश्मीर घाटी तक विमान द्वारा बिना किसी रुकावट के पहुंचा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब लगाये जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). श्रीनगर हवाई अड्डे पर ग्राउन्ड कंट्रोल एप्रोच (रडार) लगाने का प्रश्न विचाराधीन है। रडार लगाने की तिथि विदेशों से उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

अमरीकी शांति दल[1]

७२२. { **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में योजना आयोग के सहयोग से आन्ध्र के अमरीकी शान्ति दल की विचार गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) २९ दिसम्बर, १९६३ से १ जनवरी, १९६४ तक नई दिल्ली में हुई विचार गोष्ठी में आन्ध्र प्रदेश के ३२ शांति दल स्वयंसेवकों ने भाग लिया। ये विचार गोष्ठियां इसलिये की जाती हैं ताकि शान्ति दल अधिकारी और योजना आयोग इस बात का पता लगा सकें कि क्या स्वयंसेवकों को ठीक तरह लगाया गया है और इसलिये कि स्वयंसेवकों का अधिक अच्छा उपयोग किया जा सके।

नौ सेना डॉकयार्ड, बम्बई

७२३. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना डॉकयार्ड, बम्बई का नवीकरण किया जा रहा है;

[1]U.S. Peace Corps.

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना खर्चा आयेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). १९५४ में आरम्भ किये गये निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत, लगभग ३० करोड़ रु० के अनुमानित खर्चे पर, नौसेना के लिये बर्थ, डॉक मरम्मत की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये बम्बई में नौ सेना डॉक यार्ड का विस्तार और नवीकरण किया जा रहा है ।

नेफा में चीनी जासूस

७२४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** १८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रक्षित पुलिस एन० सी० ओ० और संबंधित कर्मचारियों की जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, वैदेशकार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : (क) और (ख). गार्ड कमान्डर और ड्यूटी पर तैनात संतरी दोनों को एक-एक मास की कड़ी सजा दी गई है तथा उन्हें नौकरी से बरख्वास्त कर दिया गया है । सी० आर० पी० एक्ट के अन्तर्गत दो और सिपाहियों को २८ दिन की कैद का दण्ड दिया गया है और उनके वेतन और भत्ते जब्त कर लिये गये हैं ।

एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, सी० आर० पी० को भी मुअत्तिल कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच हो रही है ।

तीनों मिशमियों ने, जो पहले फरार थे, हथियारों समेत आत्मसमर्पण कर दिया है ।

कोयला खान कल्याण बोर्ड

७२५. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कल्याण बोर्ड ने एक ऐसा रजिस्टर रखा हुआ है जिस में सभी ऐसे कोयला खान मजदूरों के नाम दर्ज हैं जिन्हें तपेदिक है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है और खानों में काम कर रहे कुल मजदूरों की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या है ?

श्रम और रोजगार संत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी हां । तपेदिक के सभी रोगियों का, जो इलाज के लिये निधि के हस्पताल में जाते हैं, एक रजिस्टर निधि के हस्पतालों और तपेदिक के क्लिनिकों में रखा जाता है ।

(ख) ऐसे कोयला खान मजदूरों की संख्या ७,८६६ है। यह संख्या कोयला खानों में काम कर रहे कुल मजदूरों की संख्या की १.८ प्रतिशत है।

नाइजीरिया को भारतीय सहायता

७२६. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइजीरिया की सरकार ने उस देश में एक प्रतिरक्षा अकादमी स्थापित करने के लिये भारत से सहायता के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अकादमी स्थापित करने के लिये कितने अधिकारी नाइजीरिया भेजे गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) नाइजीरिया सरकार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया था।

(ग) ६ सैनिक और २ नौसैनिक अधिकारी भेजे गये हैं।

भारी मोटर गाड़ी कारखाना, अवाडी

७२७. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवाडी में भारी मोटर गाड़ी कारखाने के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस के कब चालू हों जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). भारी मोटर गाड़ी कारखाने की इमारत के निर्माण का ६० प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। संयंत्र और मशीनों के लिये मांगपत्र संभरण और निपटान के महानिदेशक को भेज दिये गये हैं। कारखाने का 'टूल रूम' कार्यक्रम के अनुसार नवम्बर, १९६३ में चालू कर दिया गया था। यह कारखाने के लिये अपेक्षित सामान्य 'शॉप' उपकरणों का उत्पादन कर रहा है।

आशा है कि अन्य 'शॉप्स' निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर काम करना आरम्भ कर देंगी। आशा है कि १९६५-६६ में उत्पादन टेंकों का पहला बैच तैयार हो जायेगा।

बम्बई में कपड़ा मिलों के मजदूरों द्वारा बोनस की मांग

७२८. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कपड़ा मिलों के मजदूरों ने सभी कपड़ा मिलों के मजदूरों के लिये समान बोनस की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख) क्योंकि मामला राज्य से सम्बन्ध रखता है, इसलिए जानकारी उपलब्ध नहीं है।

त्रिपुरा उद्योग संस्थान

७२९. **श्री गो० महन्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के उद्योग संस्थानों में कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा किया ;

(ख) उनके रोजगार के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) क्या सफल प्रशिक्षणार्थियों को छोटे उद्योग, जिस में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, के उपकरण दिये जाते हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा में उद्योग प्रशिक्षण संस्थानों से सफल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, योजना आरम्भ होने से जुलाई, १९६३ में हुई व्यापार परीक्षा तक निम्न है –:

(१) इंजीनियरी शिल्प . . .	१५६
(२) गैर-इंजीनियरी शिल्प	६५
कुल .	२२१

(ख) सभी रोजगार अधिकारी ऐसे नियोजकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं जिन को कि इन कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रशिक्षणार्थियों के संस्थाओं से कोर्स पास कर के जाने से पहले रोजगार अधिकारी उन से मिलने के लिए उद्योग प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा भी करते हैं ताकि प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार सहायता द्वारा दी गई सुविधाओं को बताया जा सके और उन्हें रोजगार सहायता के लिये अपने नाम दर्ज कराने के लिये मंत्रणा दी जा सके।

(ग) दस्तकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, परन्तु वे उद्योगों को राज सहायता योजना के अन्तर्गत ऋण के लिये प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

समाचार पत्रों को निर्देशन पत्र

७३०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में समाचार पत्रों को निर्देशनपत्र जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त निर्देशन पत्रों का क्या ब्योरा है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). निर्देशन पत्र--पुस्तिका के रूप में--इसलिए प्रकाशित किये गये हैं कि समाचार पत्र आपात काल में शीघ्रता से यह निर्णय कर सकें कि क्या एक विशेष समाचार को जो उनके पास है, भारत प्रतिरक्षा नियमों के उपबन्धों और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रकाशित करना चाहिये अथवा नहीं ? पुस्तिका एक गोपनीय दस्तावेज़ है।

"Sainik Samachar"

731. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that till recently 'Sainik Samachar' was being published in eight languages and now some change has been made in that respect ;

(*b*) if so, the number of languages in which it would be published; and

(*c*) the names of those languages ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chawan) : (*a*) Yes, Malayalam edition has been added to the existing edition of Sainik Samachar since 5 January 1964.

(*b*) Nine languages.

(*c*) English, Hindi, Marathi, Gorkhali, Punjabi, Urdu, Telugu, Tamil and Malayalam.

Broadcast on Cooperative Farming

732. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government propose to broadcast a programme pertaining to cooperative farming on A. I. R.;

(*b*) if so, when this would be introduced and what would be the duration of the programme; and

(*c*) the stations of A. I. R. from which it will be broadcast ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : (*a*) to (*c*). There is no proposal to introduce the broadcast of a separate programme exclusively pertaining to cooperative farming from All India Radio. However, from time to time suitable items on various aspects of the cooperative movement are being broadcast by All India Radio Stations.

Army Medical Research Committee

733. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government have appointed an Army Medical Research Committee under the supervision of Defence Research and Development Council; and

(*b*) if so, the functions of the said Committee ?

The Minister of Defence Prodution in the Ministry of Defence (Shri Raghu Ramaiah) : (*a*) Yes, Sir. But the correct designation of the Committee is, however, Armed Forces Medical Research Committee.

(*b*) All medical research problems before investigation, are submitted to the Committee for recommendations regarding the choice of problems, allotment thereof to institutions, programme of research etc. The Committee is responsible to watch the progress of medical research authorised by the Defence Research and Development Council and make such recommendations from time to time as may be necessary for the consideration of the Council.

अमरीका में भारतीय राष्ट्रजनों का आप्रवास

७३४. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका में बसने के लिये भारतीय राष्ट्रजनों का प्रतिवर्ष आप्रवास कोटा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): १०० प्रतिवर्ष ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए कारतूस आदि

७३५. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में कारतूस आदि के दाम इतने ऊंचे हैं कि भूतपूर्व सैनिक, जिनके पास शस्त्रों के लाइसेंस हैं, उन्हें आसानी से खरीद नहीं सकते ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भतपूर्व सैनिकों को हथियारों के कारखानों द्वारा कारतूस आदि खरीदने की आज्ञा देगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) आयुध कारखानों द्वारा बेचे जाने वाले असैनिक शिकारी कारतूस आदि के वर्तमान विक्रय मूल्य, जोकि उचित समझे जाते हैं, निम्न हैं :—

(१) कारतूस ए० एस० १२ बोर .	५५ रु० प्रति सैंकड़ा
(२) कारतूस एस० ए० २२ रिम-फायर बाल	८.७० रु० प्रति सैंकड़ा

ऊपर दिये गये मूल्य अधिकतम हैं जोकि एक विक्रेता किसी ग्राहक से ले सकता है और इन में पैकिंग भाड़ा, बिक्री-कर और अन्य स्थानीय कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । अन्य किसी भी ग्राहक की तरह भूतपूर्व सैनिक देश में रजिस्टर्ड विक्रेताओं अथवा कैंटीन स्टोर विभाग (भारत), जिसे आयुध कारखाने द्वारा नियमित रूप से माल दिया जाता है, से कारतूस ,गोली आदि खरीद सकते हैं ।

कोठागुडियम में बहुप्रयोजनीन संस्थान

७३६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २६ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागुडियम में बहुप्रयोजनीय संस्थानों के निर्माण के कार्य में सीमेंट की कमी के कारण रुकावट पड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा सीमेंट की पर्याप्त मात्रा संभरण करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कोठागुडियम में कोयला खान कल्याण संगठन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां । इस बीच सीमेंट के संभरण के लिये व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) निर्माण कुर्सी स्तर तक पहुंच गया है । 'बिरली पिट' पर निर्माण कुर्सी से ५ फुट ऊंचा पहुंच गया है ।

वायु सेना अकादमी

७३७. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक संपूर्ण अकादमी स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित की जायेगी और इस के कब कार्य आरम्भ करने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) सरकार ने हैदराबाद जिले में हैदराबाद शहर से १६ मील पश्चिमोत्तर की ओर एक स्थान पर वायुसेना अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया है । प्रस्ताव को कई चरणों में क्रियान्वित किया जायेगा ।

Gorakhpur Labour Recruiting Depot

738. **Shri Sinhasan Singh :**
Shri Balmiki :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(*a*) whether recruitment of labour for collieries and iron mines through the Gorakhpur Labour Recruiting Depot has gone upward or downward and the percentage thereof ;

(*b*) whether it is a fact that outside labourers were refused admission to Gorakhpur labour hostels set up by C. R. O. which is contrary to the decision aken at the Tripartite Meeting on Gorakhpur Labour ; and

(*c*) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviaya): (*a*) Recruitment has gone up by 36% from 1960-61 to 1962-63.

(*b*) There have been complaints that abour other than Gorakhpuri is not allowed to stay in these hostels. This is contrary to the decision taken at the tripartitite meeting held on 24th January, 1961, which *inter alia* agreed that hostels provided or workers in Colliery areas should be open to all without discrimination.

(*c*) The reason generally given by the Employers is lack of a ccommodation in the hostels.

धेमो मेन कोयला खान

७३९. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धेमो मेन कोयला खान के प्रबन्धकों ने केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के दिनांक २५ मई, १९६० (संख्या ६ १९६० की) के पंचाट को क्रियान्वित कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं तोइस के क्या कारण हैं ; और

(ग) पंचाट की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रबन्धकों का विचार है कि चूंकि ठेकेदार ने पंचाट के अन्तर्गत अपना कार्य पूरा नहीं किया, इसलिये प्रबन्धक अपने भाग की क्रियान्विति के लिये बाध्य नहीं थे।

(ग) संघ (यूनियन) को यह सलाह दी गई है कि वह सम्बन्धित कर्मचारी से यह कहे कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ३३ सी (२) के अन्तर्गत पुनःनियुक्ति के बदले में रकम की वसूली तथा उस को मंजूर किये गये मुआवज़े के भुगतान के लिये श्रम न्यायालय में मामला ले जाये।

पंचाट का उल्लंघन करने के लिये प्रबन्धकों पर मुकदमा चलाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

आसनसोल रानीगंज कोयला क्षेत्र में औद्योगिक विवाद

७४०. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से दिसम्बर, १९६३ के समय में कोयला खान मजदूर सभा (ए० आई० टी० यू० सी०) ने आसनसोल-रानीगंज कोयला क्षेत्र के सम्बन्ध में कितने औद्योगिक विवाद उठाये ;

(ख) उन में से कितनों को सुलह द्वारा निबटाया गया ;

(ग) कितनों को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा गया ।

(घ) कितनों को न्याय निर्णय के लिये दिया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) ९३ । इन में से ४८ संघ (यूनियन) ने वापस ले लिये और अन्य ११ बातचीत के दौरान में या तो छोड़ दिये गये या निपटा दिये गये ।

(ख) १०

(ग) १९

(घ) ७

पंजाब के सैनिक पेंशन पाने वाले

७४१. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :
डा० उ० मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कितने हिन्दू और सिख सैनिक पेंशन पाने वाले ऐसे लोग हैं जिन को १९४७ में विभाजन के साथ पश्चिम बंगाल से पूर्व बंगाल में आना पड़ा था ;

(ख) क्या उन सभी लोगों अथवा कुछ लोगों को हाल में ही दी गई पेंशन वृद्धि दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) १९४७ में पश्चिम पंजाब से १६,९६६ सैनिक पेंशन पाने वाले भारत में आये थे । सिख और हिन्दुओं के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) हाल के वर्षों में भारतीय पेंशन पाने वालों को निम्नलिखित पेंशन वृद्धि की गई थी ;

(१) १ अप्रैल, १९५८ से १०० रुपये मासिक से कम पाने वालों (कुछ समायोजन करके) को ७ रुपये से १२.५० रुपये अस्थायी रूप में बढ़ाये गये हैं ।

(२) १ अक्तूबर, १९६३ से २०० रुपये मासिक से कम पेंशन पाने वालों (कुछ समायोजन करके) को ५ रुपये से १० रुपये अस्थायी रूप से बढ़ाये गये हैं :

यह पेंशन वृद्धि विस्थापित सैनिक पेंशन पाने वालों को नहीं दी गई है क्योंकि उन को पेंशन देने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार पर है । परन्तु भारत में रहने वाले उन विस्थापित सैनिक पेंशन पाने वालों की पेंशन में उक्त (१) के अनुसार वृद्धि कर दी गई है जिन्होंने पाकिस्तान सरकार की ओर से भारत में पेंशन पा रहे हैं और ३० जून, १९५५ को भारत आ गये थे ।

सकल पूंजी निर्माण

७४२. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन और रिजर्व बैंक ने पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में सकल पूंजी निर्माण की सांख्यकीयां तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त योजनावधि में राष्ट्रीय आय, के राज्यवार आंकड़े भी तैयार किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के सकल पूंजी निर्माण के सरकारी आंकड़े अभी केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन अथवा रिजर्व बैंक ने नहीं बनाये हैं । परन्तु केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन ने कुछ आरम्भिक अध्ययन किया है जिनके निर्णय प्रकाशन योग्य नहीं समझे गये ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन अखिल भारतीय आधार पर राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन बनाता है तथा प्रकाशित करता है, राज्यवार आधार पर नहीं । परन्तु बहुत सी राज्य सरकारें अब आय के प्राक्कलन स्वयं बना रही हैं तथा उन का प्रकाशन कर रही हैं ।

चीन में पाकिस्तानी सैनिक प्रशिक्षार्थी

७४३. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री मजनप्पा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रेस में प्रकाशित इन समाचारों की वास्तविकता के बारे में जानकारी है कि पाकिस्तानी सैनिक प्रशिक्षार्थी चीन में प्रशिक्षण पा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां । ऐसा समझने के कारण हैं कि पाकिस्तानी सेना अधिकारी चीन में सैनिक प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

कराची में भारतीय उच्चायोग द्वारा दिखाई गई फिल्में

७४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कराची के भारतीय उच्चायोग द्वारा कितनी तथा किस प्रकार की रूपक फिल्में प्रदर्शित की गईं ?

प्रधान-मंत्री वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : औसतन एक महीने में एक नई रूपक फिल्म दिखाई जाती है ।

कुछ फिल्में भारतीय जीवन तथा सांस्कृतिक आधार के सम्बन्ध में हैं । अन्य केवल मनोरंजन के लिये थीं ।

ईशापुर राइफल फैक्टरी

७४५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईशापुर राइफल फैक्टरी ने एक ऐसी राइफल बनाई है जो अन्य देशों में बनाई गई राइफल की तुलना में बहुत अच्छी है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रकार की राइफलों की स्थापित उत्पादन क्षमता क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) ब्योरे बताना लोकहित में नहीं है ।

(ग) वर्तमान क्षमता २,५०० राइफलों की है ।

सेना अधिकारियों की भर्ती

७४६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकट काल की घोषणा के बाद देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों से कितने सैकन्ड लैफ्टिनेंट निकले ;

(ख) इन स्कूलों में इस समय कितने अफसर प्रशिक्षण पा रहे हैं ; और

(ग) संकट काल समाप्त हो जाने के बाद क्या ये अफसर बने रहेंगे ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) इंडियन मिलिटरी अकादेमी तथा आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूलों से संकटकाल के बाद ८,५७४ सैकन्ड लैफ्टिनेंट निकले । इनमें स्थायी रैगुलर कमीशन, शार्ट सर्विस कमीशन तथा एमरजेंसी कमीशन पाने वाले सभी लोग हैं ।

(ख) इस समय ३२०२ व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

(ग) एमरजेंसी कमीशन पाने वाले अफसरों को स्थायी कमीशन देने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायगा । शार्ट सर्विस रैगुलर कमीशन ५ वर्ष के लिए दिया जाता है तथा इन कमीशनों को पाने वाले अफसरों को समय समाप्त होने पर स्थायी कमीशन देने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

Military Training to Engineering Students

747. **Shri E. Madhusudan Rao** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the number of engineering students who are receiving military training at present in the country ;

(*b*) the duration of their training ; and

(*c*) the objectives of giving military training to these students ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (*a*) The number of Engineering students who are receiving training in the N.C.C. is 22,700.

(*b*) Three years.

(*c*) The objectives of giving N. C. C. training to these students are :—

(*i*) to develop physique, character and capacity for leadership ; and

(*ii*) to stimulate interest in the defence of the country, and generally to acquaint the students with military equipment used in engineering units of the Services.

सशस्त्र सेना कार्यालय के सहायक

७४८. **श्री म० ना० स्वामी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२ में परिवर्तित सहायकों के वेतनक्रम सशस्त्र सेना कार्यालयों के सहायकों पर भी लागू कर दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा १९६० में जारी किए गए आदेशों के आधार पर सशस्त्र सेना के सहायकों, स्टैनोग्राफरों तथा अन्य ऐसे पदों पर २१०–१०–२९०–१५–३२०–क्षमतावरोध–१५–४२५–दक्षतावरोध–१५–५३० लागू कर दिया गया था । बाद में असैनिक कार्यालय में यह वेतनक्रम २१०–१०–२७०–१५–३००–दक्षतावरोध–१५–४५०–दक्षतावरोध–२०–५३० कर दिया गया था । सशस्त्र सेनाओं के सहायकों तथा अन्य लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस को १-७-५९ से भूतलक्ष्यी प्रभाव से लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है । मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जाने की संभावना है तथा निर्णय के बाद सशस्त्र सेना कार्यालय के सहायकों आदि पर लागू करने के आदेश जारी किए जायेंगे ।

पंजाब में शिक्षित बेकार

७४९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को पंजाब में कितने शिक्षित बेकार व्यक्ति हैं ; और

(ख) उन में कितने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के व्यक्ति हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे०रा० पट्टाभिरामन) : (क) काम दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्टरों में ३१,५३६ शिक्षित व्यक्ति (मैट्रिकुलेट तथा ऊपर) लिखे हुए हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियां	२६८७
अनुसूचित आदिम जातियां .	७

अमरीका तथा कनाडा को भारतीय उत्प्रवासी

७५०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में अमरीका तथा कनाडा को कितने भारतीयों ने उत्प्रवास किया ; और

(ख) उन की शिक्षा अर्हतायें तथा व्यवसाय क्या हैं ?

प्रधान मंत्री वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) (१) **अमरीका**—१९६३-६४ के अमरीका को जाने वाले भारतीयों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु १ जुलाई १९६२ से ३० जून, १९६३ तक अमरीका सरकार ने ११७३ भारतीयों को अमरीका में स्थायी रूप से बसने की सुविधायें दी हैं।

(२) **कनाडा**—१९६३ में ८६० भारतीय कनाडा गये थे। जनवरी–फरवरी १९६४ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) (१) **अमरीका**—उनकी अर्हता तथा व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं है।

(२) **कनाडा**—कनाडा जाने वाले व्यक्तियों में इंजीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, अध्यापक, प्रबन्धक, एग्रिकल्चरिस्ट तथा क्लर्क आदि हैं। उन की शिक्षा अर्हता उपलब्ध नहीं हैं।

भारी मिट्टी हटाने के उपकरण का कारखाना

७५१. श्री नि० रं० लास्कर : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्ताविक भारी मिट्टी हटाने का उपकरण बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये स्थान चुन लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) कारखाने में उत्पादन कब होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). मैसूर में कोलार में एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है। अग्रेतर ब्योरों की जांच की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(१) तेजपुर के निकट सैनिक क्षेत्र में विस्फोट

श्री स्वैल (आसाम—स्वायत्त जिले) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "२१ फरवरी, १९६४ को तेजपुर के निकट सैनिक क्षेत्र में विस्फोट, जिसके परिणामस्वरूप कई व्यक्ति घायल हुए एवं मारे गये।"

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : २१ फरवरी, १९६४ को, सुबह १० बजे तेजपुर के निकट मिसामारी में एक भू-खान में विस्फोट हुआ, जहां कि प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप एक जे० सी० ओ० और दो ओ० आर० उसी समय मारे गये। १२ अन्य सैनिकों

को चोटें आईं जिन में से दो सैनिक ठीक हो गये हैं। इस घटना की जांच के लिये आदेश दिया गया है।

श्री स्वैल : इस घटना के एक दिन पश्चात् रंगिया में कुछ विस्फोटक पदार्थ एवं कारतूस पकड़े गये और उसी दिन, इस स्थान से कुछ ही फासले पर, होजाई में काफी संख्या में बन्दूकें आदि पकड़ी गयीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन घटनाओं का परस्पर सम्बन्ध तो नहीं है और क्या यह ध्वंस की कार्यवाही मात्र तो नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। मैं समझता हूं कि इन दो घटनाओं में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सं० मो० बनर्जी (कानपुर) : जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई क्या उन के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया, और यदि हां, तो कितना ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन को कुछ सहायता देने सम्बन्धी कार्यवाही तुरन्त की गयी थी।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : चीनियों के लद्दाख और नेफा से लौटने के पश्चात् उन के द्वारा बिछाई गयी विस्फोटक खानों को खोजने और उन्हें तबाह करने की कार्यवाही की गयी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। जिस खान का विस्फोट हुआ वह हम ने प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ बिछाई थी और उसके पश्चात् उसका विस्फोट कर दिया गया।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : क्या इस खान पर कोई निशान लगा हुआ नहीं था और क्या सैनिकों को इस बारे में ज्ञान नहीं था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस घटना से सम्बन्धित सभी तथ्य जांच न्यायालय की कार्यवाही में ही प्रकट किये जायेंगे। उससे पूर्व कोई राय बताना कठिन है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय संशोधन नियम, केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के बारे में सरकारी संकल्प, व्यावसायिक रोगों के लिये श्रमिकों को प्रतिकर के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संविदा की भारत द्वारा पुष्टि के बारे में विवरण

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ की धारा १५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०८ में प्रकाशित औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय संशोधन नियम, १९६४ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २३९५/६४]

(२) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के बारे में दिनांक २५ फरवरी, १९६४ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०—१७(२)/६३ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४३१/६४]

(३) व्यावसायिक रोगों के लिये श्रमिकों को प्रतिकर (संशोधित) १९३४ के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संविदा (संख्या ४२) की भारत द्वारा पुष्टि के बारे में विवरण की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४३२/६४]

इस्पात के वितरण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE DISTRIBUTION OF STEEL

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इस्पात सम्बन्धी आयोजन एवं वितरण की वर्तमान पद्धति के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके परिणामस्वरूप सितम्बर, १९६२ को डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक राज समिति नियुक्त की गयी, जिसका नाम इस समूची पद्धति के बारे में अध्ययन करना था। इस समिति द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन अक्तूबर, १९६३ को प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में बताया गया कि कौन कौन सी त्रुटियां इस पद्धति में पाई जाती हैं, जैसे व्यादेशों के आयोजन में विलम्ब एवं त्रुटियां, भुगतान-तिथियों की अनिश्चितता, प्राथमिकता की परिभाषा की अनुपयुक्तता, अप्रभावकारी आवंटन एवं त्रुटिपूर्ण कार्यान्विति, चोर-बाजारी, छोटे उपभोक्ताओं का अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माल का निर्धारित मूल्यों पर प्राप्त न कर सकना, आदि, आदि।

समिति की मुख्य सिफारिश यह थी कि इस्पात संयंत्रों की एक संयुक्त संयंत्र समिति स्थापित की जाय जिस के अध्यक्ष लोहा और इस्पात नियंत्रक हों, और जो सरकार द्वारा बताई गई सामान्य प्राथमिकताओं के प्रकाश में उत्पादन का आयोजन करे और रोलिंग कार्यक्रमों को निबटाये। सरकार की अनुमति से यह समिति उत्पादक मूल्य निर्धारित करे। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि मूल्यों पर उस समिति का इस से अधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए और जब कभी ऐसे मूल्यों और खुले बाजार के मूल्यों में अन्तर बढ़ जाय तो सरकार को उचित उत्पादन शुल्क लगा कर उस अन्तर को कम करना चाहिए। भाड़ा समानीकरण समाप्त होना चाहिए और रिरोलस पर से सभी प्रकार के नियंत्रण हटा लिये जाने चाहिएं। यह भी सिफ़ारिश की गयी कि इस्पात का व्यापार खुले आम होना चाहिए।

समिति की सिफ़ारिशों पर लोगों की राय प्राप्त की गयी और आज मैं कुछ निर्णयों की घोषणा करूंगा।

यद्यपि योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था के लिये नियंत्रण आवश्यक होते हैं परन्तु हमें देखना होता है कि कहीं नियंत्रणों के कारण जड़ता या गतिबद्धता न आ जाये और उस से निहित स्वार्थों की पूर्ति न हो, और वह तब तक ही रहे जब तक उन का होना आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टियों से

अनिवार्य है। इसीलिये सरकार की घोषित नीति रही है कि वह यह देखे कि कहां कहां और किस तरह से नियंत्रण कम कर सकती है।

विस्तृत अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में कुछ श्रेणियों के इस्पात की कमी बनी रहेगी, जैसे प्लेटें और चादरें, आदि। जब तक रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इन की मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिये सरकार ने निर्णय लिया है कि इस्पात की प्लेटों, चादरों आदि पर पहले की तरह नियंत्रण बने रहें। कच्चा लोहा, ढले हुए पिण्डक, तले की प्लेट, बिलेट्स, टीन की सलाखें, प्लेटें, चादरें, चौड़े स्ट्रिप, स्कैल्प, टीन की चादरें, पट्टियां, आदि के अतिरिक्त सभी प्रकार के इस्पात के मूल्य एवं वितरण से १ मार्च, १९६४ से परिनियत नियंत्रण हटा लिया गया है। जिन लोहा एवं इस्पात की वस्तुओं पर नियंत्रण रहेगा उन के व्यादेश के साथ कोटा-पत्र लगाना आवश्यक होगा। इन इस्पात की श्रेणियों के पुनरीक्षित मूल्य अलग से सूचित कर दिये गये हैं।

जिन श्रेणियों से नियंत्रण हटा लिया गया उन के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये जायेंगे परन्तु संयुक्त संयंत्र समिति समय समय पर सूची-मूल्य घोषित करती रहेगी। वास्तविक भाड़ा मुख्य उत्पादक ही देते रहेंगे और वह भाड़ा समानीकरण निधि के साथ उचित समन्वय करते रहेंगे, जो निधि अब संयुक्त संयंत्र समिति के अन्तर्गत होगी।

संयुक्त संयंत्र समिति तुरन्त गठित की जा रही है और उसकी बैठक आज ही होगी। यह लोहा तथा इस्पात नियंत्रक की अध्यक्षता में मुख्य उत्पादकों एवं रेलवे के प्रतिनिधियों से गठित होगी। इस समिति का मख्य कार्य नियंत्रित एवं विनियंत्रित माल के उत्पादन सम्बन्धी आयोजन करना होगा। इससे उत्पाद्रन और वितरण दोनों में सुधार होगा। समिति सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्राथमिकताओं को कार्य-रूप देगी। प्राथमिकता के प्रयोजनार्थ इस्पात का आवंटन एक उच्चस्तरीय इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किया जायेगा जो सचिव, लोहा तथा इस्पात विभाग की अध्यक्षता में स्थापित की जा रही है।

रिरोलरों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। अच्छी प्रकार के रिरोलरों का उत्पादन होता रहे इस दष्टि से बिलैट्स के मूल्य एवं वितरण पर पहले के समान नियंत्रण रहेगा। इस्पात रिरोलिंग मिल्स संस्था को कहा जा रहा है कि अपने द्वारा बेचे जाने वाले माल के मूल्यों की आवधिक सूची निकाला करें। बिलैट्स के वितरण का दायित्व लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का होगा और वह रिरोलरों की गतिविधियों पर नज़र रखेगा।

राज समिति की सिफारिश के अनुसार जिन इस्पात की किस्मों से नियंत्रण हटा लिया गया है उन का व्यापार खुले तौर पर हो सकेगा, और नियंत्रित किस्मों का व्यापार वर्तमान प्रणाली से पंजीबद्ध स्टाक रखने वाली द्वारा ही होगा। कुछ सक्रमणकाल के पश्चात् नियंत्रित एवं पंजीबद्ध स्टाक धारियों में कोई अन्तर नहीं रहेगा।

काफी समय से देशीय और आयातित इस्पात के मूल्यों में समता बनाये रखने का काम इस्पात समानीकरण निधि द्वारा होता रहा है। अब चूंकि भाड़े के समानीकरण का काम संयुक्त संयंत्र समिति

के सुपुर्द किया जा रहा है और मूल्यों पर से परिनियत नियंत्रण हटाया जा रहा है, इस लिये समानीकरण निधि को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम मार्च से इस निधि की और इस में से कोई अदायगी सम्बन्धी कारोबार नहीं होगा। इस का अर्थ यह है कि विक्रय मूल्य एवं प्रतिधारण मूल्य में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा और कोई अधिकार नहीं रह जायेगा। इसी कारण इस्पात की कई किस्मों पर उत्पादन शुल्क उचित ढंग से पुनरीक्षित कर दिया गया है। बाजार भावों को बढ़ने से रोकने की दृष्टि से अग्रेतर उत्पादन शुल्क लगाने के लिये सरकार द्वारा शक्तियां प्राप्त की जा रही हैं।

वर्तमान पद्धति के अनुसार, वस्तु-विनिमय के आधार पर आयात किये गये माल को आयात कर्ता जिसे चाहे बेच सकता है। राज समिति ने बताया है कि किस प्रकार यह पद्धति त्रुटिपूर्ण है। सरकार अब सोच रही है कि यह आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम अथवा संयुक्त संयंत्र समिति के द्वारा ही हुआ करे। सरकार इस बारे में अग्रेतर विचार करेगी और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेगी

एक माननीय सदस्य : मेरा अनुरोध है कि इस वक्तव्य को परिचालित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे परिचालित करा दूंगा।

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६४

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1964).

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): मैं श्री दासप्पा की ओर प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में रेलवे के निमित्त प्रयो ग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

उच्च न्यायालय-न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६४

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 1964

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरतवीस) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री हजरनवीस : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

देश की खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FOOD SITUATION IN THE CQUNTRY

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य पहले ही सभा के समक्ष रख चुका हूं । अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा :

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाय ।"

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : I beg to move my Substitute Motion No. 2.

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्ततुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव एवं यह तीनों स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

श्रीमती विमला देवी (इलुरू) : कृषि का हमारे देश में एक विषेश महत्व है चूंकि अधिकतर राष्ट्रीय आय इसी साधन से प्राप्त होती है और देश का विकास भी इसी पर निर्भर करता है । इस लिये हमें कृषि उत्पादन में कमी नहीं आने देनी चाहिये और इस प्रयोजनार्थ अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये । कृषि उत्पादन और इस के समान वितरण सम्बन्धी नीति में मूल-भूत परिवर्तन करना अनिवार्य है ।

तीसरी योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य पहले ११ करोड़ टन निर्धारित किये गये थे जो बाद में १० करोड़ टन कर दिये गये, परन्तु इस समय जो स्थिति है उस को देखते हुए ८ करोड़ टन का लक्ष्य भी यदि प्राप्य हो जाय तो सौभाग्य का विषय होगा । वर्ष १९५७-५८ के पश्चात् प्रत्येक वर्ष उत्पादन में कमी रही । प्रधान मंत्री ने वर्ष १९४८ में कहा था कि वर्ष १९५२ तक हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायेंगे और उसके पश्चात भी कई बार आत्म निर्भर होने की चर्चा की परन्तु अब यह सरकार उस बात को भूल गयी मालूम होती है ।

हम २००० करोड़ रुपये का अनाज विदेशों से आयात कर चुके हैं । हम पी० एल० ४८० पर निर्भर करते हैं । इतना अधिक धन व्यय करने के पश्चात् भी खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ पाया । मंत्री महोदय ने खाद्यान्न के उत्पादन में कमी के लिये प्रकृति को दोषी ठहराया है । वास्तव में सरकार की नीति त्रुटिपूर्ण है और वह मौसम की बात कह कर बहाने पेश कर रही है ?

यदि उत्पादन में कमी होती है तो मूल्य बढ़ते हैं जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्णमाचारी ने ग़ैर-सरकारी एवं विदेशी नियोजकों को प्रोत्साहन देने की बात तो कही परन्तु किसानों को प्रोत्साहन देने के बारे में कुछ नहीं कहा।

केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार सम्बन्धी विधान पारित किए गये हैं परन्तु अभी तक उन्हें लागू नहीं किया जा सका है। गांवों में भूमि अब भी ३ प्रतिशत लोगों के पास है और २० प्रतिशत लोग या तो भूमिहीन हैं या उनके पास अलाभप्रद जोतें हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार स्वयं भूमि का वितरण करने और जोतों की सीमा निर्धारित करने में असफल रही है। गांवों में बेकारी है और सरकार जमीदार बन कर कृषि योग्य भूमि का वितरण नहीं करती।

आंध्र प्रदेशमें ४० लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि बंजर पड़ी है और उसे गरीब किसानों को नहीं दिया जा रहा। वर्ष १९५४ में वहां की सरकार ने गरीब किसानों को भूमि वितरित करना आरम्भ किया था परन्तु दुर्भाग्यवश वह काम वहीं रुक गया।

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : वह सारी भूमि नहीं दी जानी थी।

श्रीमती विमला देवी : बहुत सी कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है। आंध्र सरकार ने बंजर भूमि का वितरण बन्द कर दिया है और कहा है कि जब जवान सेना से लौट आयेंगे तब उस भूमि का वितरण किया जायेगा। प्रधान मंत्री का तो कना है कि संकटकाल शायद सौ साल तक चलता रहे। अतः बंजर भूमि का वितरण अभी कर देना चाहिये।

भूमिहीन कृषकों और थोड़ी भूमि के मालिकों की भूमि की कृषि नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पास धन नहीं। सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री को प्रयत्न करना चाहिये कि ये लोग सहकारी समितियां बना कर कृषि करें।

बीजों, उर्वरकों और ऋण की व्यवस्था करनी चाहिये और ऋण बिना ब्याज के देना चाहिये क्योंकि स्वर्ण नियंत्रण के कारण उनके लिये ऋण लेना कठिन हो गया है।

महलनोबिस समिति का कथन है कि गांवों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है किन्तु उन पर कर बढ़ाये जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में १९५६–५७ में भूमि पर शुल्क ६.९६ करोड़ रुपया था जो १९६३–६४ में बढ़ कर १७.०० करोड़ रुपया हो गया है। इसके अतिरिक्त ११ करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लगाने के लिये आंध्र प्रदेश से कहा गया है जब उन्होंने इसे २१ करोड़ रुपया कर दिया है। वहां के मुख्य मंत्री ने यह विधेयक बहुत जल्दी में पास कर दिया था और उससे किसानों में बहुत असंतोष फैला था किन्तु संकटकाल के कारण वे चुप रहे। जिसका मुख्य मंत्री ने अनुचित लाभ उठाया। अब उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ कर दिया है। ५०,००० से अधिक लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कई स्थानों पर उन पर लाठी प्रहार किया गया है और स्त्रियों को भी पीटा गया है। खाद्य मंत्री को इस आन्दोलन की स्थिति को देखना चाहिये और हस्तक्षेप करना चाहिये।

नागार्जुन सागर जैसी बड़ी परियोजना के लिये सरकार को धन देना चाहिये। इससे २० लाख एकड़ भूमि की कृषि हो सकेगी और खाद्यान्न का अभाव सर्वथा दूर हो जायेगा।

वितरण की समस्या के बारे में मुझे यह कहना है कि मुनाफाखोर मौसम में अनाज इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में उत्पादकों को अधिक मूल्य पर अपने उपयोग के लिये अनाज खरीदना पड़ता है। सरकार को यह मुनाफाखोरी रोकने के लिये अनाज के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने चाहियें।

[श्रीमती विमला देवी]

इस वर्ष भी देश के विभिन्न भागों में अनाज की कमी अनुभव की गई और बंगाल में चावल ५० से ५५ रुपये प्रति मन के भाव बिका। आंध्र प्रदेश में ७४ रुपये बोरी चावल बिका है। इससे खाद्य नीति की दुखद स्थिति का पता लगता है।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत विशाल अधिकार होते हुए भी सरकार काला बाजारी को नहीं रोक सकी। देश भर में भूख हड़ताल की गई और तब कहीं अनाज उपलब्ध किया गया जैसे यह आकाश से टपक पड़ा हो।

योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जायें। वह नहीं किया गया। न ही उनके सुझाव के अनुसार थोक बाजार में राज्यों ने अनाज खरीद कर उसका वितरण किया। क्या माननीय मंत्री उन सुझावों को कार्यान्वित करने का विचार रखते हैं ?

मूल्य को नियंत्रित करने के लिये अनाज का राज्य व्यापार आवश्यक है। उचित मूल्य की जितनी भी दुकानें खोल दी जायें उनसे समस्या हल नहीं होगी।

कहा जाता है कि १९७१ में हमें १३ करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। हमें इस समस्या का सामना करना है। मूल्यों पर नियंत्रण आवश्यक है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि लोग सरकार की इस प्रकार की खाद्य नीति को अधिक देर तक सहन नहीं करेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—Contd.

पूर्वी पाकिस्तान से ईसाइयों का भारत में आना

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे इस बारे में वक्तव्य देने के लिये निवेदन करता हूं :—

"पूर्वी पाकिस्तान से ईसाइयों का भारत में आना।"

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): सभा को विदित है कि १८ जनवरी, १९६४ से पूर्वी पाकिस्तान के मैमन सिंह जिले से असम की गारो पहाड़ियों में शरणार्थी आ रहे हैं। अब तक लगभग ५२,२३८ शरणार्थी आ चुके हैं। वहां बहुसंख्यकों ने बड़े पैमाने पर लूटमार, अपहरण आदि के अत्याचार किये हैं और उन लोगों की जमीनें छीन ली हैं और उन्हें अपने पैतृक घर छोड़ने पर विवश कर दिया है।

भारत और विदेश के जिन पत्रकारों ने गारो पहाड़ियों का दौरा किया है उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। इटली के धर्म प्रचारक फादर बुकेरी ने कहा है कि उसने जो आंकड़े एकत्र किये हैं उनके अनुसार २०,००० गारो शरणार्थी रोमन कैथोलिक हैं। अमरीकी धर्म प्रचारकों के अनुसार उनमें १५००० बैपटिस्ट हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ६ फरवरी को पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने निराश्रित शरणार्थियों पर गोली चलाई थी।

भारत सरकार ने १३ फरवरी के अपने विरोध पत्र में पूर्वी पाकिस्तान से भागते हुए शरणार्थियों पर गोली चलाने का विरोध किया था। पाकिस्तान ने इस घटना को स्वीकार नहीं किया किन्तु वहां के विदेश मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि मैमन सिंह जिले से मुसलमानों द्वारा अत्याचार के कारण कुछ ईसाई पाकिस्तान से भागे हैं।

भारत ने अपने १ फरवरी, १९६४ के पत्र में पाकिस्तान को स्पष्ट लिखा था कि पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक शान्ति बनाये रखना उनका उत्तरदायित्व है। यदि उन्होंने हमारे पत्र की ओर ध्यान दिया होता तो वहां से शरणार्थियों का बहिष्कार न होता।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है। यद्यपि यह बहुत अच्छी बात है कि अन्य कार्यों को रोक कर सरकार को इस लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में वक्तव्य देने को कहा गया है। सभा में ऐसी प्रथा चली आ रही है कि ऐसे वक्तव्यों के लिये सभा को, समय के निर्धारण के बारे में, पहले ही सूचित किया जाता है। इस मामले में यह प्रथा क्यों नहीं अपनाई गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह औचित्य प्रश्न नहीं है। मैं सदन को यह असाधारण प्रक्रिया अपनाने के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में सूचनायें दी थीं। मैंने तथ्यों का पता लगा कर सभा को सूचित करने के लिये मामला सम्बन्धित मंत्रालय को भेज दिया था। हम मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा में थे।

चूंकि आज प्रश्नकाल के बाद इस विषय पर मंत्री महोदया ने राज्य सभा में वक्तव्य दिया है इसीलिये आलोचना से बचने के लिये मैंने इस सम्बन्ध में आज ही इस सदन में वक्तव्य देने को कहा। मेरे कहने पर मंत्री महोदया इस सदन में आज ही वक्तव्य देने के लिये राजी हो गईं। मुझे इसी कारण यह असाधारण प्रक्रिया अपनानी पड़ी।

श्री हिर विष्णु कामत : क्या आपके लिये इसकी सूचना प्रश्नकाल के बाद देना संभव नहीं था ..... ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस विषय में प्रश्न काल के बाद किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। अन्य कार्य आरम्भ करने के बाद ही मुझे इसका पता चला।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इतनी बड़ी संख्या में प्रव्रजन को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ किये जा रहे अमानवीय अत्याचारों के बारे में सभी देशों को अवगत कराया जाये और पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले पीड़ित शरणार्थियों को पुनः बसाने के लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से सहायता मांगी जाये ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय तथा विदेशी संवाददाता वहां गये थे .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव रखे हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को वे सुझाव मान्य हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : शायद विचार भी करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रव्रजन सम्बन्धी चर्चा के समय ये प्रश्न पूछे गये थे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हमें इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी क्योंकि वाद-विवाद का उत्तर पुनर्वास मंत्री जी ने दिया था ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसकी सूचना में पाकिस्तान से सामूहिक रूप में आने वाले शरणार्थियों तथा उनके पुनर्वास के बारे में पूछा गया था । इसीलिये हमने यह मामला पुनर्वास मंत्रालय को सौंप दिया था । राज्य-सभा में केवल पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले ईसाइयों के बारे में पूछा गया था । इसीलिये वक्तव्य को वहीं तक सीमित रखा गया ।

अब दो-तीन बातें और उठाई गई हैं । जहां तक विदेशों में, पाकिस्तान द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किये गये अमानवीय अत्याचारों का प्रश्न है, मैं बता चुकी हूं कि वहां विदेशी संवाददाता विद्यमान थे । इस सभा में इस विषय पर चर्चा करना भी एक प्रकार से विश्व में इस सम्बन्ध में प्रचार करना ही है ।

दूसरी बात के बारे में मैं बताना चाहती हूं कि हमने ऐसे मामलों में कभी भी विश्व से सहायता के लिये अपील नहीं की । कुछ संसद् सदस्य इस सम्बन्ध में विश्व से अपील कर चुके हैं । जहां तक शरणार्थियों के पुनर्वास का प्रश्न है, इसे राष्ट्रीय और मानवीय समस्या के रूप में सुलझाने के लिये यथासंभव प्रयत्न किये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यह स्पष्ट करें कि विदेशी संवाददाता ही हमारा प्रचार करेंगे या सरकार भी अपनी ओर से प्रचार करने के लिये कुछ कदम उठायेगी । दूसरी बात मंत्री महोदया यह भी स्पष्ट करें कि क्या वे अपनी ओर से विश्व से किसी प्रकार की सहायता के लिये अपील करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी ने बताया है आम तौर पर सरकार ऐसा नहीं करती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार की काम करने की इच्छा नहीं है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या सरकार ने कोई ठोस प्रयत्न किये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जहां तक प्रचार का सम्बन्ध है, हम प्रसारण, समाचार पत्रों तथा विदेशों में अपने दूतावासों द्वारा समस्या के बारे में विश्व को अवगत कराते रहते हैं । हम समस्या का वास्तविक रूप विश्व के सामने रखते हैं । पाकिस्तान की भांति हम झूठा प्रचार नहीं करते हैं । वहां पर सरकार अपने मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों का खंडन करती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमें इसी बात से सन्तोष कर लेना चाहिये कि पाकिस्तान में मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्यो का सरकारा द्वारा खंडन किया जाता है माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार को इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार को मामला उठाना चाहिए ।

श्री मती लक्ष्मी मेनन : मैं इस ओर उठाये गये कदमों के बारे में बता चुकी हूं कि हम प्रसारण, दूतावासों तथा समाचार पत्रों द्वारा घटनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराते रहते हैं ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : प्रेज़ीडेंट अयूब ने हाल में दिये गये अपने वक्तव्य में कहा है कि भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों ने ईसाइयों को पाकिस्तान से भगाने के लिये उन पर आक्रमण किया और प्रेज़ीडेन्ट अयूब के इस प्रचार को ब्रिटेन के समाचारपत्रों ने भी प्रकाशित किया है। सरकार पाकिस्तान के इस प्रकार के झूठे प्रचार को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने इस प्रकार के मिथ्या प्रचार का खंडन करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध किये गये मिथ्या प्रचार का सदा खंडन करती है। पाकिस्तान ने अभी भारत पर यह आरोप लगाया था कि वह पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को प्रव्रजन प्रमाणपत्र सम्बन्धी सुविधायें देकर भारत आने के लिये प्रोत्साहित कर रही है। हमने इसका भी खंडन किया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : माननीय मंत्री ने बताया है कि पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि पाकिस्तान सरकार ने यह पूर्वायोजित रूप में किया है। क्या सरकार को पाकिस्तान के राजनैतिक अभिप्राय के बारे में जानकारी है, और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के अभिप्राय की जानकारी होना कठिन है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री जी का इस सम्बन्ध में क्या अनुमान है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं इस बारे में कोई राय प्रकट नहीं कर सकती हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : स्थिति के बारे में यदि माननीय मंत्री कुछ नहीं समझ पाये हैं तो इस प्रकार लोग क्यों आ रहे हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी नतीजे पर पहुंची है ? सरकार स्थिति को आंके बिना कार्यवाही कैसे कर रही है ? निस्संदेह सरकार ने अवश्य कोई अनुमान लगाया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस मामले को सामान्य आयव्ययक का सामान्य चर्चा के समय उठा सकते हैं। उन्हें इस समय केवल संक्षिप्त उत्तर दिया जा सकता है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से बताया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोगों को अपने घर पाकिस्तानियों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के फलस्वरूप छोड़ने पड़े । यह कथन मिथ्या है कि उन्होंने दंगों के कारण अपने घर छोड़े। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकती।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, I may be permitted to put only one question.

Mr. Speaker : When I did not allow other eight hon. Members to put any question, how can Dr. Sahib expect.....

Dr. Ram Manohar Lohia : I bow to your ruling, but I am getting annoyed and the Government have no policy at all.

Mr. Speaker : You can raise this issue in the General discussion on the General Budget.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह शाकाहारी सरकार मांसाहारी सरकार से लड़ रही है ।

देश में खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE: FOOD SITUATION IN THE COUNTRY—*Contd.*

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : हमारे देश का बहुत बड़ा क्षेत्र दो आक्रमणकारियों के हाथों में चला गया है। देश के अन्दर भ्रष्टाचार जोरों पर है । देश में विभिन्न भागों में लगातार बिगड़ती हुई स्थिति तथा गेहूं के बढ़ते हुए दामों के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित किये गये हैं । उत्तर प्रदेश के कई भागों में खाद्यान्नों के बारे में उपद्रव भी हुए हैं ।

यह आश्चर्य की बात है कि कृषकों को फसल के समय खाद्यान्न आधे मूल्यों पर बेचने पड़ते हैं और बाद में आवश्यकता पड़ने पर दुगने-तिगुने मूल्यों पर खरीदने पड़ते हैं । इस समय गेहूं का मूल्य इतना बढ़ गया है कि यह पंजाब में ३० रु० प्रतिमन से लेकर ४० रुपये प्रतिमन तक बिक रहा है। उत्तर प्रदेश मे स्थिति और अधिक खराब है। फतेहपुर में गेहूं ६५ रुपये मन तक बिक रहा है। ज्वार जो इस समय सब से सस्ता खाद्यान्न है, १४ रुपये से बढ़कर २० रुपये मन बिक रहा है। इस समय स्थिति यह हो गई है कि कई गांवों में लोगों को गाजर के भोजन पर निर्भर रहना पड़ रहा है गाजर का मूल्य भी बढ़ रहा है।

माननीय मंत्री के वक्तव्य में बताया गया है कि सरकार बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये विभिन्न स्थानों में सस्ते अनाज की दुकानें खोल रही है। किन्तु समस्या का यह कोई व्यावहारिक हल नहीं है। इसमे सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसमें कम से कम ४००० से ५००० रुपये तक की आवश्यकता रहती है जिसे प्रत्येक स्थान पर सब लोग वहन नहीं कर सकते हैं। इन दुकानों के खुले रहने का समय सीमित होने से लोगों को बड़ी असुविधा होती है। सामान मिलने में अधिक समय लगने के कारण श्रमिक वर्ग इन दुकानों से सामान नहीं खरीद सकते हैं। इन दुकानों को संभरण किया गया गेहूं अनाज की मंडियों मे चोर बाजारी में ३०–४० रुपये प्रति मन के भाव से बेचा जा रहा है।

सरकार को मूल्यों को कम करने के लिये इन सस्ते अनाज की दुकानों को बन्द कर देना चाहिये। सारे खाद्यान्न मंडियों में एकत्रित करके निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाने चाहिये। अधिक मूल्य लेने वालों के लिये कड़े दंड की व्यवस्था की जानी चाहिये। वर्तमान अयोग्य तथा भ्रष्टाचारी सरकार के लिये किसी प्रकार की नियंत्रण और राशन की दुकानें चलाना असंभव है। सरकार सस्ते मूल्य की दुकानें खोल कर ही संतोष कर लेती है किन्तु इन दुकानों से वास्तविक मांग वाले लोगों को अनाज नहीं मिल पाता है।

भारत की भूमि उपजाऊ होते हुये भी यहां प्रति एकड़ उपज सब देशों से कम होती है। इसका मुख्य कारण कृषकों को पर्याप्त कृषि संबंधी सुविधाओं का उपलब्ध न होना है। कृषकों को पूरी सुविधायें मिलने पर वे अन्य देशों की तुलना मे अधिक पैदावार कर सकते हैं। किसानों को कृषि के लिये पर्याप्त ऋण दिया जाये जिसे वह पूर्ण रूप से खेती के कार्यों में लगा सके क्योंकि कम ऋण दिये जाने पर वह धन खेतो के कामों में न लग कर अन्य कार्यों मे व्यय हो जाता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

(The Deputy Speaker in the Chair)

सहकारी समितियों तथा बैंकों को कृषकों को ऋण देने के संबंध में उदारता दिखानी चाहिये। ऋण देते समय सरकार भूमि का बाजार भाव दृष्टि में रखे। चाहे भूमि कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो बिना पानी के अच्छी उपज होना असंभव है। इसलिये सिंचाई की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

श्री अ० प्र० प्रसाद (तुमकुर) : मुझ से पूर्व वक्ता की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने का यह सुझाव आश्चर्यजनक है कि सस्ते खाद्यान्न की दुकानें बन्द करके खाद्यान्नों के संभरण का कार्य मंडियों द्वारा किया जाना चाहिए। वह यह बिलकुल भूल गये हैं कि मंडियों में थोक व्यापारी होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना है। मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये ही ये सस्ते मूल्य वाली दुकानें खोली गई हैं। इन दुकानों की संख्या इस समय लगभग ६० हजार है जिनमें प्रायः गेहूं ही बिकता है। इन दुकानों की प्रणाली अच्छी तथा वांछनीय है। इसमें जो कुछ भी कमियां हैं उन्हें दूर कर सुधार किया जाना चाहिये।

माननीय सदस्य का यह कहना भी निराधार है कि सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को दिये जाने वाले ऋणों की व्यवस्था अच्छी नहीं हैं। जहां तक इन ऋणों का संबंध है, ये समितियां अल्पकालीन मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देती है। अल्पकालीन ऋण बीज, खाद आदि खरीदने के लिये एक वर्ष की अवधि तक के लिये दिये जाते हैं। मध्यकालीन ऋण बैल तथा अन्य कृषि उपकरणों के लिये ४ वर्ष तक के लिये दिये जाते हैं। दीर्घकालीन ऋण भूमि संबंधी सुधारों के लिये दिये जाते हैं। इनकी वापिस करने की अवधि २० वर्ष होती है। इस समय यही एक संभव ऋण प्रणाली है।

वर्ष १९६३ में पिछले वर्ष की अपेक्षा चावल और गेहूं की उपज में कमी रही है। इस कमी का कुछ भाग मोटे अनाजों तथा शेष भाग विदेशों से खाद्यान्नों का आयात कर के पूरा किया गया था। इस वर्ष शीत के कारण फसलों को बहुत हानि हुई है। इस हानि को रोका नहीं जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति समय समय पर विश्व में पैदा होती रहती हैं। इस प्रकार की स्थिति का अल्पकालीन उपचार विदेशों से खाद्यान्नों का आयात तथा वितरण की समुचित व्यवस्था और हर संभव मितव्ययता करना है। हम सबको मिलकर देश की जनता से अपील करनी चाहिये कि वह फिजूलखर्ची बन्द करके खाद्यान्नों के प्रयोग में मितव्ययता लाये। राज्यों को तभी आयात किया हुआ गेहूं दिया जाये जब वे व्यापार पर नियंत्रण रखें। जमा खोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिये।

जहां तक दीर्घकालीन उपचारों का संबंध है, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व निर्धारित होने चाहिये और उन्हें अपने अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह निभाना चाहिए। राज्य और केन्द्र के संबंध दृढ़ होने चाहिये। इस समय हमारी कृषि संबंधी नीति में यह सबसे बड़ी कमी है कि राज्यों में कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी है जिससे कृषि उत्पादन को बड़ी क्षति पहुंचती है। कृषि मे सुधार करने के लिये इन में समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है।

जिला स्तर पर भी स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। सहकारी समितियों के पास पर्याप्त प्रार्थित पूंजी होनी चाहिये जिससे वे अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा सकें। कृषि सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये जिससे वे सुविधा पूर्वक कृषकों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दे सकें।

सामुदायिक विकास खंड भी संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में इस प्रकार की संस्था कृषकों को उत्पादन बढ़ाने के लिये यथासंभव सहायता देती हैं जिससे वहां प्रति एकड़ उपज अधिक होती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा इसमे सुधार करने चाहियें।

ग्राम पंचायतों को अपना उत्तरदायित्व सावधानी से निभाना चाहिये। इन पर किसी प्रकार का राजनैतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। खाद्य समस्या का हल उपज बढ़ा कर ही किया जा सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने गांव में उपज बढ़ाने के लिये पूर्ण प्रयत्न करने चाहिएं।

कृषि राज्य सरकारों का विषय है इसलिये राज्यों को उत्पादन बढ़ाकर खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिये क्योंकि केन्द्र सरकार अधिक समय तक इस उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकती है। खाद्यान्न संबंधी कमी को पूरा करने के उपाय निकालने के लिये केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा राज्य के कृषि मंत्रियों की एक बैठक होनी चाहिये। जब तक राज्य सरकारें खाद्यान्नों के मामले मे आत्मनिर्भर न हो जायें तब तक केन्द्र सरकार को खाद्यान्न के संभरण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। इस के लिये भी एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिये, जिसके बाद राज्य सरकार अपनी असफलता के लिये स्वयं उत्तरदायी समझी जाये।

श्री महताब (अगुंल) : मंत्री महोदय द्वारा सभा में रखे गये वक्तव्य में कहा गया है कि मूल्यों की वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन में कमी है। किन्तु इसमें वास्तविकता नहीं है क्योंकि इस कमी को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों का आयात किया गया है। यह स्पष्ट है कि हमारी वितरण व्यवस्था में गंभीर त्रुटियों के कारण ही मूल्य बढ़े हैं।

वक्तव्य मे यह भी कहा गया है कि चालू वर्ष मे केवल बंगाल में मूल्य पर्याप्त सीमा तक गिरे हैं किन्तु उड़ीसा, बिहार तथा आसाम राज्यों में यह कमी प्रत्याशित नहीं हुई है। अन्य राज्यों में मूल्य नहीं गिरे है।

सरकार को मूल्य कम करने के लिये आयात के साथ साथ वितरण व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। खाद्यान्नों के व्यापार को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, कृषि

संबंधी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था से अलग समझा जाना चाहिए। सरकार इस बात का ध्यान रखे कि कृषकों को उनकी उत्पादों के उचित मूल्य मिलें।

कुछ जिम्मेदार किसानों ने मुझे बतलाया था कि गेहूं की बढ़ी हुई कीमतों का प्रभाव शीघ्र ही गावों में होने लगेगा। किसान अधिक कीमत मांगने लगेगा। गम्भीर मामला है। क्या कारण है कि किसान मुनासिब कीमत पर अनाज बेचने में आनाकानी करता है? अब इस स्थिति में केवल व्यापार पर नियन्त्रण लगाने से काम नहीं चलेगा; हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। किसानों की भी आवश्यकतायें हैं। बाकी चीजों की कीमतें बढ़ गयी हैं। तो उसे भी अनाज अधिक कीमतों पर बेचना होगा इस बात को तीन वर्ष पूर्व ही अनुभव कर लिया गया था, तीसरी योजना के प्रारम्भ में ही। परन्तु सदन का यह जानने का हक है कि इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। योजना आयोग ने इससे सभी सम्बद्ध लोगों को चेतावनी दे दी थी। स्थिति ऐसी है कि बढ़ रही कीमतों को न रोका गया तो मामला गम्भीर और जटिल हो जायेगा।

प्रश्न यह है कि यदि हमने और चीजों की कीमतें न रोकीं तो क्या अनाज का दाम कम हो जायेगा। हमारे व्यापारी किसानों की कीमत पर लाभ उठाना चाहते हैं। आज अनाज के दाम कम होते हैं तो दूसरी वस्तुओं के दामों के कम होने में समय लगेगा और बीच के लोग तो लाभ उठा-येंगे, और किसान की हानि होगी। मामला जटिल है, सरलता से हल नहीं होगा। सारा दोष एक बार कृषि मंत्रालय पर ही डाल दिया गया था। कहा गया था कि मंत्रालय के कारण ही भाव नीचे नहीं जा रहे। अब वह बात नहीं रही। अब कहते हैं कि बीच के आदमी ऐसा कर रहे हैं। यदि हैं तो सरकार उनका नियन्त्रण कर सकती है। क्या कारण है कि इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा? केवल राज्य सकारों को परामर्श दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को मंत्रियों के सम्मेलन में जो कुछ हुआ है, उससे तो कीमतें और बढ़ जाने की संभावना है।

यह भी फैसला था कि चावल मिलों पर नियन्त्रण कर लिया जाय और आगे से किसी भी चावल मिल को चालू करने का लाइसेंस न दिया जाय। केवल सहकारी क्षेत्र में ही चावल मिलें चालू हों। यह बात भी ठीक नहीं। यदि सहकारी क्षेत्र में मिलें न चालू हो सकीं तो फिर वर्तमान मिलें जितना भी चाहे नफा कमाने में स्वतन्त्र होंगी। उनके साथ कोई मुकाबला नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि यह आर्थिक समस्या है। श्री रफी अहमद किदवई ने भी इसी तरह किया था, परिणाम यह हुआ कि मिलों ने भारी मुनाफा कमाया। यह स्थिति पुनः पैदा हो सकती है और मैं इसकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं।

मैं फिर इस बात को कहता हूं कि अनाज की कीमतों को अन्य चीजों की कीमतों के एक साथ लिया जाय। देखा यह जाना चाहिए कि आखिर यह कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। योजना आयोग ने इस दिशा में कुछ पग उठाने की बात कही तो थी। परन्तु अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमने उत्पा-दक के अतिरिक्त अन्य व्यय में कमी करने की बात भी कही थी। हमने सामुदायिक विकास की भी बात की थी। केवल अधिकारियों की व्यवस्था कर दी गयी, परन्तु केवल अधिकारियों के घूमने चलने से तो स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। न ही इससे उत्पादन बढ़ सकता है। अब मामला पंचायतों को दिया जा रहा है। वे आगे ही अपनी समस्याओं में उलझ रही हैं। कृषि सुधार के लिए यह एक बहुत व्यवहारिक कदम है। हमें कोई व्यवहारिक हल तलाश करने का प्रयत्न करना चाहिए।

Shri Vishram Prasad (Lalganj) It was in the year 1948 that our Prime Minister told the nation that our country would be selfsufficient in foodgrains within two to three years, and he again said that it was a matter of shame that we were unable to solve the food problem when 70 per cent of our population was dependant on agriculture. It is sorriful state of affairs that even after a period of seventeen years we are unable to solve this problem. If we have made any headway during this period it is in the direction of corruption, unemployment and starvation. Today villagers in U. P. and Bihar are actually starving. Famine conditions are prevalent in Rajasthan. On the one hand there is scarcity of food and on the other prices are soaring upward. A Government which have failed to provide the bare necessity of bread for the masses, cannot be expected to defend the nation from the onslaughts of enemy.

This Government itself admitted that 27 crore men of this country earn seven and a half annas a day. But a man cannot support himself with seven and a half annas, two times a day.

In Azamgarh district wheat is selling at Rs. 40/- a maund, and in spite of such high prices wheat is not available. The prices of other foodgrains are also very high there. Still, the hon. Minister says that prices have not increased sufficiently.

Foodgrains are not available at the fair price shops, sometimes for a number of days. In order to obtain permits people have to pay bribe in the supply offices, for which consumers have to suffer ultimately.

We often talk about the scarcity of sugar, but how is it than that the sugar is selling in the black market in large quantities.

Recently Gur was sold by the Central Cooperative Store at the rate of Rs.85/- per quintal instead of Rs. 66/-. The Chairman of this store is a member of this House, but no action has been taken against him as yet. Unless we check corruption no improvement in the food situation can be expected.

In his budget, the Finance Minister has not provided any relief for the farmers. Government is bent upon increasing taxes without taking into consideration of the miserable condition of the people.

The burden of loan is increasing, and the Government is spending large amounts in the name of planning. In spite of all this food problem remains unsolved. Future also seems to be bleak. From 1961 upto 1964, 34 lakh tons, 36 lakh tons and 46 lakh tons of wheat was imported, respectively. We spent crores of rupees on irrigation during the three plan periods, but the net result is that production was less. This is really deplorable state of affairs. Per capita consumption of cereals was 11·5 ounces in the year 1951. In the year 1961 it increased to 13.8, but in the year 1963 it decreased to 13·2 ounces. During the past 12 years agricultural production increased by 3·5 per cent, but the population increased by 22 per cent. This way food problem can never be solved.

The root cause of all this is that our plans are mere paper plans. A farmer does not get anything out of our plans. If we want to tackle the food problem our plans should be farmer-oriented. Irrigation facilities should be provided to them and loans should be given. The middle men who get the most out of the increased prices should be severely dealt with. Government have failed to take such measures and hence the responsibility for shortfalls lies with the Government.

The hon. Minister should make it clear as to why a cess of 35 per cent is levied on sugar.

Shri Sihhasan Singh (Gorakhpur) : One of the Members who just finished his speech was some Government official sometime back, and the other was an ex-Minister. The moment they left their posts, light dawned upon them. The way they have criticised Government's policies, makes it clear that there is something fundamentally wrong with those policies. In fact, Government's policies are rotten and outmoded.

According to the figures given, the shortfall in foodgrains in the year 1962-63 was only 13 lakh tons as compared to the year 1961-62. But when we look to the real conditions prevalent in the country, we feel that these figures do not represent the facts.

Our ex-Minister had created a buffer-stock of foodgrains with the help of PL-480, and he had made it public that whenever a rising trend would be found in foodgrains prices, extra stocks would be released; and whenever a downward trend would be found, foodgrains would be procured by the Government. To-day, when prices have shot up, why extra stocks are not being released from that buffer stock ?

Government have opened 62,000 fair price shops, which means that one shop caters to the needs of seven or eight thousand people. This is apparently an inadequate arrangement. Today, Government issues instructions that more such shops be opened. But nobody cares for such instructions. Instead, permissions are being given to open shops on individual basis. I will cite a recent happening here. At Gorakhpur, a shopkeeper was found selling sugar to one *Halwai*, and I suggested that his quota should be cancelled. His quota was cancelled only for one month and thereafter it was restored again. I brought this fact to the notice of the Supply Officer and the Collector, and I told him that that was a clear case of corruption. But my efforts were of no avail. No action was taken against him. I tell you that such malpractices are the root cause of the food problem.

Community Development can be much more fruitful, if American Jeeps are taken away from the people working there. These Jeeps are used only to see cinemas. They serve no useful purpose.

There should be no profiteering in fertilisers. To-day Government import fertilisers at the rate of Rs. 200/- per ton, and after mixing the indigenous fertilisers, make it available to farmers at Rs. 400/- per ton. It is better if we import fertilisers under PL-480 and distribute it to farmers at cheaper rates. that can help increase the production.

Our cane development societies provide all sorts of facilities to the farmers, like seeds, fertilisers, loans, etc., but they are unable to get back loans from farmers. I suggest that such societies be given full control over the agricultural sector. Thereby, the conditions will improve further. Moreover, the village workers and others who are sent to the villages should be made to some practical work. People at the agricultural farms should be asked to show better results. Unless we change our outlook, food problem cannot be solved.

Government import large quantities of wheat and then, instead. of giving the same to the needy and starving people, supply it to the flour mills, which is most unjustful. Government is not responsible for running the flour mills.

[Shri Sinhasan Singh]

Those mills extracts 25 per cent *maida* and *Suji* from the wheat and then supply the rotten *atta* to the people. This practice should be stopped immediately and wheat should be supplied direct to the people.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : To-day the persons responsible for administration level allegations and counter-allegation on each other, and when they are unable to explain a thing this way, they bring in the profiteers and put all the blame on them. But the Government itself are responsible for profiteering. At the time of crops, people collect huge stocks and later on they sell the same at enhanced rates. If we want to remedy this problem, steps will have to be taken at the time of crops. New crop season is approaching. The situation will further deteriorate if wholesale dealers are again expected to play a major role. Wholesale dealers and merchants naturally keep in view their personal benefits and profits. Government should itself invest. money and let the wholesale traders act as mere commission agents. Unless Government keep strict control, we can little expect that situation will improve. But the control must be on scientific lines. The Government will have to be prepared to take the risk upon itself, in case prices decline some time after.

About electrification of rural areas, Government should take measures to check nepotism and corruption.

Allocations should be made immediately for the Rajasthan canal. Our production is increasing at as nai's pace whereas population is increasing by leaps and bounds. A balance between the two will have to be maintained.

Arrangement for distribution of food-grains at the fair price shops is faulty. In my area, a labourer has to stand in queue for hours, after which he is given wheat worth Rs. 2/-. You can imagine the plight of the poor labourer. Instead of putting all the blame on traders, Government should improve its distribution system.

The price paid to the farmer for his produce should be linked with the prices of his articles of necessity.

Steps should be taken to check the traders from taking loans from the banks on cash crops and also to dissuade them from indulging in speculation.

Imposition of income and sales taxes is another contributory factor which is responsible for soaring prices.

While raising stocks of foodgrains regard must be shown to the quality of food consumed in rural areas and that which is conusmed in urban areas.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I fully support the statement of the hon. Minister in this connection. It has been given in the statement that shortfall is due to uncertainties of weather, which is correct appraisal of the situation. Even Russia had to import foodgrains from America. Even if we give all kinds of encouragement to the producers, production will none-the-less be dependant still on weather. Natural factors are beyond human comprehension.

In spite of the fact that shortfall in production is not considerable, prices are soaring up. Paddy crops in Bengal were sufficient this year. We are still

having stocks of foodgrains. The impact of the approaching crop season will be seen after three to four months. Therefore, I feel that traders, hoarders and profiteers are mainly responsible for the present scarcity as also for the abnormal rise in prices. Government must exercise stricter control on these people. Profiteers and hoarders should be detained under the Preventive Detention Act. Government should exercise stricters control on the wholesale dealers as well as on the fair price shops. They must keep account of the foodgrains sold by them. Recently when there was scarcity of fine rice in Bengal, we personally went there and tried to find out the actual state of things, and we found that the traders were holding large stocks of rice. Such people should be taken to task. Opposition parties also help in increasing the prices through their newspapers.

Government should improve and keep a strict control on the distribution of foodgrains. Where there is scarcity, foodgrains should be supplied, and where there is hoarding stocks should be taken away and distributed. But the Government must pay proper prices to the trader as well as to the producer. An integrated price may be fixed for the producers. That integrated price should be in proportion to the articles of necessity, such as fertilisers.

Planning Commission should finance these projects from which immediate results can be obtained.

Production can be enhanced by 25 per cent if only water is made available to the farmers in sufficient quantities.

It is also desirable that people should apply austerity in the consumption of sugar and foodgrains. Our opposition Members consume a lot of sugar while they drink tea and coffee in the Central Hall.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : एक औचित्य प्रश्न है। यह कहना कि विरोधी पक्ष वाले चाय और काफी पीते हैं अनुचित है। काफी और चाय केवल विरोधी पक्ष वाले ही तो नहीं पीते।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक सामान्य अपील कर रहे हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं यह सुन कर चकित रह गया हूं कि श्री विभूति मिश्र जैसे समझदार और गंभीर व्यक्ति ने कहा है कि विरोधी पक्ष के १२३ सदस्यों को जेल भेज देने पर अनाज सस्ता हो सकता है।

Shri Bibhuti Mishra : I did not say this. Rather I said that the papers which incite violence should be put behind the bars.

श्री उ० मू० त्रिवेदी मैं यह नहीं मानता। पिछले दस वर्षों से यह देखा जा रहा है कि अनाज के मूल्य अकस्मात बहुत बढ़ जाते हैं और फिर कुछ गिर कर मल स्तर से अधिक स्तर पर स्थिर हो जाते हैं।

वास्तव में इस का कारण यह है कि सरकार मुद्रा स्फीती को नहीं रोक पा रही। इस समस्या का उचित रीति से अध्ययन करना चाहिये ;

यह कहना पर्याप्त नहीं कि व्यापारी ही अनाज को इकट्ठा कर लेते हैं। गुजरात मालवा राजस्थान में तो यह भी होता है कि किसान ही अपना सारा उत्पादन नहीं बचते और बाद में आवश्यकता पड़ने पर बाजार में लाते हैं।

व्यापारियों को विवश नहीं किया जा सकता कि वे जितना अनाज खरीदें उसे तुरन्त बेच दें। हमें तो यह देखना चाहिये कि अपराध किसका है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में ऐसी बहुत सी सिंचाई योजनाएं हैं जो उन ठेकेदारों को पैसा दिलाने के लिए बनाई हैं जिन्होंने कांग्रेस को चुनाव में पैसा दिया था। ऐसी योजनाओं से कितनी ही भूमि जलमग्न हो गयी है जिसकी सिंचाई कुओं से भली प्रकार होती थी और इनका उपयोग पथरीली और बंजर भूमि के लिए किया जायगा।

सामुदायिक परियोजनाओं में क्या हो रहा है ? वहां खण्ड अधिकारी लोगों से नहीं मिलते और न ही उन्हें कुछ सिखाते हैं। हम उत्पादन तभी बढ़ा सकते हैं जब हर इंच भूमि में कृषि की जाए किन्तु अजमेर से खण्डवा तक रेलवे लाइन के पास की भूमि में जहां बहुत घास पैदा हुआ करती थी अब कुछ पैदा नहीं होता। राज्य सरकार से कहा जाता है तो वे यही उत्तर दे देते हैं कि जिस पौधे के कारण घास पैदा होनी बन्द हो गई उस के बारे में गवेषणा की जा रही है।

मूल्यों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है और जब तक मुद्रा स्फीती है उन्हें स्थिर नहीं किया जा सकता।

Shri K. N. Pande (Hata) : Merely raising hue and cry about the higher prices of the foodgrains we cannot solve this problem. Then there is no control on the vagaries of nature. Even Russia and China have not been able to control the nature.

The Food Minister has said that the Rabi crop of Northern India has been damaged to the extent of 25 per cent due to frost. These figures are wrong. Actually 50 per cent of the crops have damaged. If we take the right perspective of the damage only then we would be able to solve the grave problem.

The peasants are producing cash crops, which is a harmful tendency because it would create scarcity of foodgrains.

The Hon. Minister has said that 60000 fair price shops have been opened. But these shops would not be able to provide the necessities of the people. Some arrangements should also be made to ensure that the shopkeepers should not refuse to sell foodgrains when stock is with them. They should display list of prices as well as the position of stock and a committee should be set up to receive the complaints of the people.

Industrial policy should be remodelled so as to provide foodgrains at lower prices to the industrial labour otherwise the industrial production will not go up.

Community Development, Agriculture and Irrigation are closely connected. Therefore there should be co-ordination in their working. Government should send stocks of foodgrains to the market to check the prices and should wait for the new crops to come to the market.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस गंभीर समस्या का उल्लेख किया है अत : मैं इस बारे में अधिक समय नहीं लूंगा। वर्तमान खाद्य मंत्री ने जब यह कार्यभार सम्भाला तो हम आशा कर रहे थे कि कृषि की स्थिति को दलदल में से निकालेंगे किन्तु अभी तक इस समस्या का समाधान करने का निश्चय दिखाई नहीं दिया।

इस क्षेत्र में जिस आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है उस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया।

इस समय देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और भारतीय कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त जन-शक्ति और क्षमता है किन्तु उसमें लगाई गई जनशक्ति के मुकाबल में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा।

कृषि के प्रति उपेक्षा का भाव रहा है। कृषि नीति, कृषि उत्पादन के मूल्यों और पट्टेदारी अनिश्चितता के कारण कृषि की स्थिति दयनीय रही है। अतः माननीय मंत्री को इस संबंध में निश्चित नीति का निर्माण करना चाहिये।

देश के उत्तर भाग में चावल का अभाव है और मूल्य बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि वे चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे किन्तु इस से समस्या का उपचार नहीं हो सकगा।

पी० एल० ४८० की सहायता से अनाज के फालतू स्टाक तैयार किये हुए थे किन्तु वे भण्डार कहां चले गये हैं।

श्री विभूति मिश्र का कथन ठीक है कि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण कृषि की यह स्थिति है किन्तु योजना के द्वारा इन विपत्तियों पर काबू पाना चाहिये था। इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह पर्याप्त नहीं है।

हम यह महसूस करते हैं कि बावजूद बड़ी बड़ी बातें करने के अभी तक कुछ हुआ नहीं, और भारतीय कृषि ने कोई प्रगति नहीं की। हां कभी कभी चुनावों के निकट जरूर उन्हें कुछ लाभ पहुंचा दिया जाता है। रेगिस्तान के क्षेत्रों के प्रति भी सरकार का रवैया काफी उपेक्षापूर्ण रहा है। इस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता था। आज तो सरकार के पास कोई आधार सामग्री भी नहीं है। जल की कमी की समस्या के बारे में भी कुछ नहीं किया गया। राजस्थान में बहुत से क्षेत्रों में अकाल की हालत है। सरकार लोगों के कल्याण की बात सोचने के बजाय लोगों पर कर लगा रही है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair)

श्री हरीशचन्द्र माथुर (जालौर) : खाद्य समस्या देश की सब से प्रमुख समस्या है। देश का प्रत्येक नागरिक ही खाद्य स्थिति तथा बढ़ी हुई कीमतों से प्रभावित नहीं, प्रत्युत हमारी योजनाओं पर भी इस का बुरा प्रभाव हो रहा है। इसके कारण सर्वत्र देश में असन्तोष और अशांति है। आशा करनी चाहिए कि इस समस्या की गम्भीरता की ओर सरकार का ध्यान जायेगा। गेहूं के भाव १५ रुपये मन से बढ़ कर ३२ रुपये मन हो गया है। मंत्री महोदय को एक तिथि निश्चित करनी चाहिए जब कि वह देश में अनाज की कीमतें कम से कम ५० प्रतिशत नीचे ले आयेंगे। इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपने सामने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इस रोग का उपचार क्या है।

सरकार ने गेहूं का भाव १४ रुपये मन निश्चित किया है, परन्तु इस समय ३० या २८ रुपये का दाम चल रहा है। आप देखिए किस प्रकार बीच के लोग और सट्टा करने

वाले लाभ उठा रहे हैं । प्रश्न बड़ा जटिल है, केवल खाद्य मंत्री पर उत्तरदायित्व डाल देने से ही यह हल होने वाला नहीं है । हमारी वित्तीय नीति भी बढ़ती हुई कीमतों के लिए जिम्मेदार है । हमें मुद्रास्फीति को कम करना है और कर अपवंचन को रोकना है । इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत अच्छा प्रभाव होगा । दूसरी बात यह है कि हमें सट्टे-बाजी और साठेबाजी को रोकना है । अनाज के मामले में बीच के आदमी के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया जायेगा । यह जो दाम बढ़े हैं इसके लिए वही व्यापारी जिम्मेदार है जिन्होंने काफी संग्रह कर रखा है । यदि हमने इस दिशा में कुछ भी न किया तो देश में विद्रोह हो सकता है । सरकार को ऐसी स्थिति को रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए ।

आज जो स्थिति है राज्य व्यापार इसका कोई उपचार नहीं । अपेक्षा इस बात की है कि स्थिति का नियन्त्रण करने के बारे में गम्भीरता से विचार किया जाय । हमें चीजों के दाम नियुक्त कर देने चाहिएं और इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि नयी फसल मंडी में आ जाये । और सरकार को यह निर्णय कर देना चाहिए कि गेहूं की कीमत १८ रुपये मन से नहीं बढ़नी चाहिए । मुझे विश्वास है कि यदि सरकार चाहे तो वह कीमतों का नियंत्रण कर सकती है । इस संदर्भ में मेरा यह भी कहना है कि किसानों को अच्छे बीज, उर्वरक इत्यादि भी दिये जाने चाहिएं । उनके अन्दर भी यह जोश पैदा किया जाना चाहिए कि वे लक्ष्य प्राप्ति में हमारी पूर्ण रूप से सहायता करें ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Last time it was stated by the hon. Minister that he would be able to tell the decision of the Government regarding the fluctuations in the foodgrains prices when the conference of Food Ministers of States would be over. It is regrettable that the Government had been unable to give any indication as to how it proposed to check the rise in food grain prices and in what way this problem is to be solved. The suggestion was given that the prices should not be allowed to rise beyond one anna per seer between two harvests. But this suggestion do not find favour with the Government.

First of all I would like to impress upon the Government that they should first decide the policy to be followed in the matter of food grain prices and then steps should be taken to implement this decision properly. Prices of the foodgrains should be fixed and they should not rise beyond that limit. The Government have put the entire blame of this rise in prices on traders and the weather. But in my opinion it is not the weather, but the trade and Government who should be held responsible for the present day predicament. They had failed to check the rise. We only talk about the increase in production, but we do not come forward with definite policy which is to be followed in this connection.

I wish to ask on this that the farmers must also be assured a fair price and so should the consumers be assured a fair price. Together with that this should also be ensured that the manufactured articles used by the cultivators did not sell at more than 50 per cent above the cost of production.

It is really very sad that the sense of responsibility is going down. The Government consistly evaded their responsibility and it is not now responsible to Parliament. I urge upon them the fix up the target date by which they must ensure adequate food for the country and if they fail, they should quit.

We must also realize that the farmer is also a human being. With this realization alone he will be able to increase production. Government should help him reclaim the virgin and water logging lands. Our Government should not lose sight of the fact that only the small irrigation schemes will ultimately help in irrigation of 80 per cent of our lands. The final decision about the size of irrigation schemes must be taken. Nothing has been done in this connection for the last fifteen years. Some policy must be there.

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : हम संसद् के प्रत्येक सत्र में खाद्य स्थिति पर चर्चा करते हैं। मेरा विचार यह है कि इन चर्चाओं से कोई लाभ नहीं होता, प्रत्युत इससे स्थिति और कमी वाली हो जाती है। इस कमी पर कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो जाता है। मेरा निवेदन यह है कि हमें इस कमी की चर्चा न करके इस बात पर विचार करना चाहिए कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने की राह में जो रुकावटें हैं, उन्हें दूर किया जाय और फिर सारी शक्ति इसी बात पर केन्द्रित कर दी जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनाज की कीमतें चढ़ गयी हैं परन्तु वे उस सीमा तक नहीं बढ़ीं जिसका कि हम ने अनुमान लगाया था। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कीमतें जिस सीमा तक ऊपर जानी चाहिए थीं, उस सीमा तक ऊपर नहीं गयीं। यह कीमतें तो असाधारण नहीं हैं, परन्तु वे निर्मित वस्तुएं जिनकी कि किसानों को आवश्यकता होती है वे काफी ऊंची हो गयी हैं और उस के लिए किसानों को सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गयी।

देश के निहित हितों की ओर से यह शोर है कि कीमतें असाधारण तौर पर बढ़ गयी हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें यह बात भी नहीं भूल जानी चाहिए कि किसानों को समुचित कीमत नहीं मिल रही। किसानों को समुचित मूल्य मिलना चाहिए। इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य भी निर्धारित कर दिये जाने चाहिएं। बिना ठीक कीमतों के दिये हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। मेरा यह दावा है कि यदि किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं का अपेक्षित प्रबन्ध हो जाय तो थोड़े ही समय में देश का उत्पादन दुगणा हो सकता है। मुझे आशा है कि सरकार राज्य सरकारों को निदेश देगी कि किसानों की उत्पादन बढ़ाने में प्रत्येक सम्भव सहायता दी जाय।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : I am really pained to note that even after the 16 years of Independence the voice of the farmers is not heard. They are 80 percent in this country but their interests are ignored. I feel that the machinations of the vested interests had resulted in the demands of the peasants being ignored. People asked me the reasons for the rise in the prices, but unfortunately I had no answer to give. It appears that our administration was becoming less and less vigilant towards the Parliamentary pressures. Whenever the attention of the Government is drawn towards this fact that prices of foodgrains are rising high, the advice is given that consume imported wheat. I may state that the imported foodgrains had had a very bad effect on the production of the country.

I am of the opinion that those who are responsible for our agricultural policies try to ignore the interests of the farmers. The farmers sold their produce cheap, but the consumers had to pay much higher prices. It was the middleman who was earning enormous profits. I wish to urge that the farmers should be ensured of remunerative prices and the consumers' prices should not be more than 50% of the cost of production.

This is also correct that the only smooth marketing of foodgrains can be ensured by the state trading. If the profiteering indulged in by the middlemen was allowed to continue, no body could hold it against the people if they took to looting grain shops. I would submit that the attention should be paid to both increasing the production of foodgrains and their equitable distribution. The farmers must be assured of easy and adequate credit and irrigation facilities. Small and medium sized tractors should also be manufactured in the public sector for sale to the farmers at reasonable prices. Whatever production we are having today it should be properly distributed. In this way the Government can bring down the prices.

श्री मुत्तुगौंडर (तिरुपत्तुर) : श्रीमान्, पहले भी खाद्य स्थिति में हुई चर्चा के दौरान खाद्य के उत्पादन में हुई कमी का कारण प्रतिकूल मौसम ही बताया गया है। यह उचित कारण नहीं है क्योंकि देश के कई भागों में हमेशा ही प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ता हैं। तंजौर जिले में साइक्लोन से चावल की ५० प्रतिशत फसल नष्ट हो गई। किन्तु वहां अभी लगान की छूट देने के बारे में अन्तिम निर्णय भी नहीं लिया गया।

मूल्य कम करने के लिये यह आवश्वक है कि कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाये।

गहूं का जहां तक प्रश्न है, उसे आयात किया जा सकता है। किन्तु चावल विदेशी मंडियों में सरलता से उपलब्ध नहीं है और विदेशी चावल खाने की यहां के लोगों को आदत भी नहीं है। चावल की समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि कम लागत पर अधिक उत्पादन हो।

चावल के उत्पादन में काफी लागत लगती है और वह प्रति वर्ष प्रति एकड़ ५० रुपये के हिसाब से बढ़ रही है। तंजौर में बारी-बारी से फसलें नहीं उगाई जा सकतीं क्योंकि पानी पूरे वर्ष नहीं मिलता।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

चावल का उत्पादन करने वालों की स्थिति अच्छी नहीं है। लागत कम करने के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये। मेरे एक दो सुझाव हैं। उन लोगों से राजस्व न लिया जावे। उर्वरक आधी कीमत पर दिये जायें। उन्हें विद्युत् अथवा तेल-इंजिनों से चलने वाले पम्पिग सेट दिये जायें। डीज़ल तेल, विद्युत् चालित मोटर और उसके पुर्जों की कीमतें बढ़ गई हैं। अतः चावल का उत्पादन करने वाले किसानों को ५० प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाये।

हम लोग कम ऊंचाई के भागों में कुएं खोदते हैं और टंकी बना कर सीमेंट के पम्पों द्वारा पानी ऊंचाई पर ले जाते हैं। किन्तु वहां उन्हें सरलता से सीमेंट उपलब्ध नहीं हो पाता। इसकी ओर ध्यान दिया जाये।

Shri Sheo Narain (Bansi) Mr. : Deputy Speaker, Sir, I would request the hon. Minister to put an end to food control as the official machinery entrusted with the work is inefficient with the result that all their schemes end in a failure.

Efforts should be made to secure fair price to the farmer. I would like that it is only 20% of the entire population of the country, the intellectual class, which is flourishing, rest of the population lives under plightful conditions.

The only way to remove this poverty is that we should raise two crops over the land. Provide irrigation facilities and distribute manure and the production would necessarily increase. A large amount of money will be saved. Village level workers and development officers, who are not serving any useful purpose, are done away with. The inefficient officers should also be removed from the office.

It is necessary for the Government to check the rising prices, if it wants to survive. Necessary steps should be taken to ensure fair price to the farmer concomitant with his requirements. The condition of the farmer today is pitiable. He is pulling on under the strain of wants and poverty. He is not even in a position to secure full meals for himself and for his family. He is not able to obtain cement because it goes to black market. These corrupt practices should be checked. The Prime Minister should reshuffle the Government machinery if it does not work well.

The ban on the movement of foodgrains should be lifted so that wheat can be sent to every part of the country.

Minister of Food and Agriculture(Shri Swaran Singh): For the information of hon. Member I would like to make it clear that there is no control on wheat.

Shri Sheo Narain : There is control on every thing including wheat and rice.

The schemes regarding small irrigation are not working satisfactorily. The money granted under these schemes does not reach the farmer. The B. D. O's and their staff do not work honestly. There is an urgent need of tightening the Government machinery.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, there are no two opinions about the fact that the prices have gone sky high and the trend still continues. In the statement the Food Minister has himself admitted the position about rice stating that rice is in shortage in addition to the fact that its prices have increased. He has also admitted that the prices of wheat too have recorded a steady increase since September 1963 onwards. It was reported that in big cities like Kanpur the masses have looted the grain shops. But in my opinion it is not proper to say that the shops were looted there. The people, realizing that if the profiteers and hoarders are allowed a free hand the poor people will die of starvation, they thought it proper to take hold of hoardings of foodgrains and to distribute them equitably amongst the people. The tendency of the Government to quote wholesale prices to suport their claim that prices have not gone so high is not reasonable as the consumer never deals in wholesale. People were very much pleased when the definition of socialism was given a final shape in Bhubaneshwar Congress but now gradually they are beginning to lose faith in the Government and have begun to think that this Government is quite helpless in checking the rising prices.

The hon. Members coming from U.P. have apprised the House that famine is imminent in their State. The hon. Minister has tried to prove that crops have been damaged by the frost and by cold wave and he has proceeded in order to show the severity of frost to say that it has taken a toll of 4 persons and 47 cattle head. But this reference seems to be out of place here as our original contention was that persons and cattle have died of hunger.

[Shri S. M. Banerjee]

The main question before us is what to do next. The Government have not used Defence of India Rules against horders, profiteers and black marketeers while they did not hesitate to use them against trade union workers who raised their voice against them. I would like to know if any person indulging in profiteering, black marketing and hording has been arrested in the States which are facing famine conditions.

The rice mills and flour mills are earning huge profits by fair as well as foul means. They should be taken from private hands and co-operative societies should be allowed to run them.

The condition of U. P. is going from bad to worse. People are compelled by the circumstances to loot the grain shops. The man in the street is not able to meet his even meagre demand of two chapaties. If this situation continues to prevail there is least doubt that people will not remain satisfied by only looting the shops, they will proceed further and will capture the Hapur market.

Government want to bring socialism in the country. But I have no illusion left whatsoever, about this socialism after I have read the budget which opens the door for foreign monopolies.

I am of the opinion that the Government is unable to carry State trading in food grains. Still I would like put some suggestions before the hon. Minister.

The speculation in food grains should be stopped. Minimum prices should be assured for food grains. Wheat and flour mills should be taken over and the controlling machinery should be streamlined.

श्री करुथिरमण (गोबीरमण चेट्टिपलयम) : इस विवरण में उपभोक्ता के उचित मूल्य का उल्लेख किया गया है बकि किसा को चित मूल्य प्राप होने बात नहीं कही गई। खाद्य समस्या लझाने के लिये आवश्यक है कि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले। आयात करना हमारे देश के सम्मान के प्रतिकूल है क्योंकि यह कृषि प्रधान देश कहा जाता है।

१६ रु० प्रतिमन चावल का स्थैर्य-मूल्य पर्याप्त नहीं है। इससे उनकी लागत भी पूरी नहीं होती। अतः तंजौर में जहां लोग दो फसलें उगाते थे वहां एक उगाने लगे हैं और इस प्रकार उस क्षेत्र में चावल की पैदावार लगभग ३ लाख टन कम हो गई है।

सदस्यों ने उचित मूल्य की मांग की है। किन्तु यह नहीं बताया कि उचित मूल्य की परिभाषा क्या है। स्थैर्य मूल्य की उसी समय आवश्यकता होती है जब उत्पादन अधिक हो। उत्पादन कम होने की स्थिति में उचित मूल्य की आवश्यकता होती है। किन्तु हमारे यहां इसके विपरीत किया जा रहा है।

खेती के लिये किसान को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है लगभग दस गुना अधिक हो गयी है। इन बातों की ओर ध्यान दिये बिना ही में नहीं समझता कि किस प्रकार १६ रु० प्रति मन के हिसाब से स्थैर्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

आयात के लिये हमें २० रु० अथवा २४ रु० प्रतिमन चावल के हिसाब से देना होता है। यदि इतनी ही राशि किसान को मिल जाये तो सारी कमी पूरी हो जायेगी और उत्पादन ५०

अथवा १०० प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा । उत्पादन की कमी का कारण कृषि को कम महत्व देना है । विद्युत का उत्पादन बढ़ा है । किन्तु अधिकांश वह विद्युत उद्योग क्षेत्र की ओर दे दी जाती है ।

मूल्यों में वृद्धि होने का प्रभाव शहरों में रहने वाली केवल ५ से १० प्रतिशत जनता पर पड़ता है । अत: किसान को उचित मूल्य उपलब्ध कराने की ओर अधिक ध्यान दिया जाये ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्पादक को उचित मूल्य मिलने के संबंध में घोषणा कर दी है । अन्य राज्यों में भी ऐसा ही किया जाना चाहिये । यदि किसानों को चावल का २० रुपये प्रतिमन और धान का १५ रु० प्रति मन के हिसाब से मूल्य मिल जाये तो वे सन्तुष्ट हो जायेंगे । यह भी निश्चित कर दिया जाये कि मूल्य निर्धारण की जिम्मेदारी राज्यों की है अथवा केन्द्र सरकार की । इस समस्या को सुलझाने का एकमात्र उपाय यही है कि किसान को उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाये और उपभोक्ता और उत्पादक के मूल्य में १० प्रतिशत का अन्तर रखा जाये ।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Deputy Speaker I am glad that at last this matter has come before the House. If some solution is found out, if some policy is chalked out, and firmly adhered to, there is no doubt that the country would be saved from the crises which is at present looking into its very face. On the other hand if the House fails to comprehened the gravity of the situation then, undoubtedly the hunger stricken poor masses would be compelled to revolt. The situation in the country is alarming. Various districts of Punjab, Gujarat and Rajasthan were already famine conditions for a long period. To complete the tragedy severe cold wave which swept over the country in the last winter played how on the crops and to add to the unservices of the people the profiteers too did not lag behind in their task in that they began to fish in troubled water by making capital out of the misfortune of the people. The poor and innocent masses are subjected to harassment by the police by framing the charges of smuggling etc. while, on the other hand, rules are being scanned to shield Shri Brahm Prakash who is allegedly involved in the case of corruption and smuggling. The Cabinet Law Minister is busy with the attempts of defending him.

Shri Tyagi (Dehradun) : No attempts have been made to defend him.

Shri Kishen Pattanayak (Sambalpur) : The Law Ministery has interfered. There was a charge sheet against him.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Files are being tampered with.

Shri Bagri : I would like to submit to you that people have to starve for 2-3 days before they get something to eat. The prices of food grains have shot up like anything . The wheat imported from America is, no doubt, cheaper in price than indigenous one but it is at least 25% adulterated as could be inferred from the fact that it is sold after gringing in the shape of flour.

I would like to recall to your memory, sir, that once, during the British Rule, when famine posed a threat to our area the highest officers and even the Ministers went there to take stock of the situation. But our Government is not prepared to recognize it as a famine striken area though it is facing famine conditions for last two years. The Minister concerned should have had a tour of that area.

Rajasthan, Bhiwani and Gurgaon are those parts of the country which recurringly, after every fourth or fifth year, suffer from famine. It is for the Government to find out the ways and means for a lasting remedy.

The starving nation will not be able to fight to defend its honour and prestige. To face the threat posed simultanously by China and Pakistan it is basically necessary that people are saved from starvation. It is a stigma on the nation that was on the one side, people are dying of hunger, on the other grains are lying heaped in godowns and the wealth is buying stuffed in the shelves.

A reference has been made in the statement that land revenue for the crops which have stuffed 50% damage would be remained. But who would decide the percentage . Why not further remission is announced.

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad): The main reason of our lagging behind in food grains production during the last sixteen years is that our administrative machinery is not functioning well. The major portion of the sactioned expenditure is spent on maintaining administrative personnel. Nothing is being done to help the producers.

The farmers have not been given enough encouragement. Their lands have been acquired for setting up factories without adequate compensation. The Government with its bureaucratic machinery has been neglecting the 70 persent agricultural population of this country and looking to the interest and well being of the urban population. Every facility is afforded to the industrailists with a view to promotion of Industries. But the farmers are not supplied power, irrigation facilities, cement and fertilizers. In the absence of these things it is impossible to for them to increase production.

To remedy this situation small irrigation schemes should be taken in hands without delay. Government should lay greater emphasis on the import of fertilizers in future. We spend huge amounts every year on imports of foodgrains from abroad. Had this amount been spent on providing irrigation facilities and loans to farmers we would not have fell the necessity to import foodgrains from abroad any more.

श्री स्वर्ण सिंह : १९६३ में गेहूं का उत्पादन १११ लाख मीट्रिक टन था । सामान्यतया लगभग कुल उत्पादन का तिहाई भाग मण्डियों में आता है क्योंकि ग्रामीण लोग अपनी आवश्यकताओं की पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं और उन्हें साधारणतया शेष महीनों में मण्डियों का मुंह नहीं देखना पड़ता । अत: ३७ लाख मीट्रिक टन गेहूं मण्डियों में आया । पिछले वर्ष सस्ती दुकानों के माध्यम से ३८ लाख मीट्रिक टन विदेशी गेंहूं की खपत हुई । इससे स्पष्ट है कि हम गेहूं के उत्पादन में आत्म-निर्भर नहीं हो पाये हैं । चावल की खपत करने वाले इलाकों में भी हम गेहूं की खपत में वृद्धि करना चाहते हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में चावल प्राप्त करना सुलभ नहीं है । इसलिये पिछले कुछ वर्षों से अन्न की कमी होने की स्थिति में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमारी नीति चावल की बजाय गेहूं का ही आयात करने की रही है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Speaker** in the Chair]

हमने बाहर से मंगाये गये ३८ लाख मीट्रिक टन गेहूं को सस्ती दूकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। इसके वितरण पर सरकार का समुचित नियंत्रण है।

नवम्बर के महीने में गेहूं की कीमतें बढ़नी शुरू हुईं और हमने राज्य सरकारों को केन्द्रीय रक्षित भण्डार से अधिक गेहूं लेने की सलाह दी। पंजाब ने इसका तुरन्त लाभ उठाया। पंजाब राज्य की गेहूं की अधिकतर मांग विदेशी गहूं से पूरी की जाती है। उन्होंने इसके वितरण की व्यवस्था भी कर दी है।

उत्तर प्रदेश राज्य ने केन्द्र की सलाह का लाभ उठाने में कुछ देरी की और इसके कारण उस राज्य के कुछ भागों में कठिनाई अनुभव की गई क्योंकि ठीक समय पर गेहूं वहां पर न पहुंचाया जा सका।

मैं सभा को केन्द्रीय रक्षित भण्डारों से विभिन्न राज्यों को दिये गये गेहूं के आंकड़े देना चाहता हूं। पंजाब को जनवरी, १९६३ में १४,००० टन गेहूं दिया गया। उसकी तुलना में जनवरी १९६४ में उस राज्य को ४५,००० टन का संभरण किया गया। उत्तर प्रदेश के बारे में उसी अवधि के आंकड़े २९,००० टन तथा ९९,००० टन हैं। अन्य राज्यों के बारे में इन आंकड़ों में अन्तर अधिक नहीं हैं। मध्य प्रदेश को भी जनवरी, १९६४ में १७,००० टन गेहूं दिया गया जब कि जनवरी, १९६३ में यह मात्रा ४,००० टन थी। राजस्थान को जनवरी, १९६३ में ७०० टन गेहूं दिया गया और यह मात्रा जनवरी, १९६४ में बढ़कर १८,००० टन हो गई।

१५ फरवरी तक के जो आंकड़े मेरे पास हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि फरवरी के महीने में भी पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में राज्यों को गहूं का संभरण किया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I want the hon. Minister to state the Government's policy in this matter. Members go away because they have no interest in these figures.

अध्यक्ष महोदय : घण्टी बजाई जा रही है अब गणपूर्ति है। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री स्वर्ण सिंह : देश के विभिन्न राज्यों को जनवरी के महीने में गेहूं तथा आटे के रूप में ४ ½ लाख टन गहूं का संभरण किया गया। फरवरी, १९६४ में इससे भी अधिक गेहूं का संभरण किये जाने की संभावना है। गेहूं की कमी को पूरा करने के लिये जो व्यवस्था की गई है वह मैंने बता दी है।

इन उपायों का परिणाम यह हुआ है कि गे की कीमतें जो बहुत अधिक बढ़ गई थीं अब कम होती जा रही हैं। समूचे देश में गेहूं की कीमतें बढ़ीं। कीमतों के बढ़ने का कारण यह था कि १९६२–६३ में १९६१–६२ की तुलना में ९ लाख टन गे कम पैदा हुआ। उत्तर भारत में शीत लहर तथा सरदी में कम वर्षा होने के कारण भी कीमतों पर बुरा प्रभाव पड़ा। परन्तु यह महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिनों से गेहूं की थोक कीमतें कम होती जा रही हैं।

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : Have the retail prices also shown any downward trend?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सब को पता है कि बाजार के थोक मूल्य ही प्रकाशित होते हैं । जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनका प्रभाव बाजार भावों पर पड़ता है और वही भाव प्रति दिन समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं । जब कीमतें गिरती हैं तो गिरे हुए भाव समाचारपत्रों से ही लिये जाते हैं। बाजार भावों के बारे में सरकार की अपनी जानकारी के आधार पर मैं यह सब कुछ कह रहा हूं । इससे स्पष्ट है कि केन्द्रीय रक्षित भण्डारों से गेहूं के बाजार में आने से कीमतें कुछ गिर गई हैं । परन्तु स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है । इस का कारण यह है कि लोग विदेशी गेहूं को अच्छा नहीं समझते । गलत प्रचार के कारण भी लोग इस गेहूं को खाने में संकोच करते हैं । वर्तमान स्थिति का सामना करने का एकमात्र उपाय यही है कि विदेशी गेहूं अधिक मात्रा में बाजार में उपलब्ध किया जाये और उपभोक्ता अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करें तभी देशी गहूं के दाम कम हो सकते हैं । गेहूं के ऊंचे दामों का बहुत कम लोगों पर ही प्रभाव पड़ता हैं क्योंकि अधिकतर लोग विदेशी गेहूं का ही प्रयोग करते हैं ।

हमने राज्यों को यह आश्वासन दे दिया है कि हम उनकी गेंहूं की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं। अतः राज्य सरकारें राज्य के दूरस्थ भागों में भी गेंहूं के वितरण की व्यवस्था कर रही हैं। इससे बढ़े हुए मूल्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

पिछले वर्ष चावल का कम उत्पादन हुआ फिर भी पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को छोड़ कर हम स्थिति को काबू में रख सके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्तूबर तथा नवम्बर, १९६३ में कुछ उपाय किये और दो या तीन सप्ताह के अन्दर ही स्थिति पर काबू पा लिया। पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में चावल की वर्तमान कीमतें पिछले वर्ष की इसी अवधि की कीमतों की तुलना में कम है। जोकि एक संतोषजनक बात है ।

जहां तक पश्चिम तथा दक्षिण जोन के राज्यों का सम्बंध है वहां पर चावल के मूल्य पिछले वर्ष की तत्संबंधी अवधि के मूल्यों से कुछ अधिक रही है हालांकि नई फसल के आ जाने से मूल्य पहले से काफी गिर गये हैं। हमें विश्वास है कि चावल के मूल्य और कम हो जायेंगे। इस उद्देश्य से सरकार उगाही को कम करने तथा प्राप्ति मूल्य में वृद्धि करने के बारे में तुरन्त निर्णय करने जा रही है।

इस वर्ष चावल की फसल पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी है अतः लोगों को चावल उपलब्ध करने में कठिनाई होने की संभावना नहीं है ।

इन सब बातों के साथ साथ हमें और भी ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता है। कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण उपायों के बारे में सहमति प्रकट की गई है। एक का उद्देश्य थोक व्यापार का और अधिक प्रभावशाली ढंग से विनियमन करने के लिये लाइसेंस देने की शर्तों को और कड़ा करना है। नये लाइसेंस आदेश के लागू हो जाने से राज्य सरकारों को व्यापारियों के पास जाना खाद्यान्नों को उनका उचित मूल्य दे कर अपने कब्जे में करने का अधिकार होगा। दूसरा उपाय यह है कि राज्य सरकारों को अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार हो। ताकि मूल्यों में असाधारण वृद्धि को रोका जा सके। हमने निम्नतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में अपनी नीति की पहले ही घोषणा कर दी है। अतः इन उपायों के लागू होने के पश्चात फसल के आने से पहले तथा फसल के बाद की कीमतों में एक निर्धारित सीमा से अधिक अन्तर नहीं होने दिया जायेगा। राज्य सरकारें शीघ्र ही इस नये लाइसेंस आदेश को लागू करने जा रही है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार के नियंत्रणों, वितरण व्यवस्था तथा उगाही की ऊंची दरों के कारण यह कठिन स्थिति उत्पन्न हुई है। परन्तु गेंहूं पर देशी सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण न होने पर भी गेंहूं की कीमतें बढ़ी हैं । अतः खाद्यान्नों के मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि के लिये बहुत सी बातें जिम्मेदार हैं। नई फसल आने के पश्चात यदि कीमतें कुछ अधिक हों तो हमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे किसान को ही फायदा पहुंचेगा।

अगली रबी की फसल अच्छी होने की आशा नहीं है। क्योंकि पाले के कारण गेंहूं, चना, दालों आदि की फसलों को काफी क्षति पहुंची है। अतः सरकार को इस वर्ष स्थिति को काबू में रखने के लिये कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

सरकार का उद्देश्य एक ओर तो यह है कि कीमतें इतनी न गिरने पायें जिससे उत्पादक उत्पादन करने के लिये निरुत्साह महसूस करें और दूसरी ओर यह है कि मन्दी के दिनों मे कीमतें अधिक न बढ़ने पायें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है।

सरकार जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बाजार में प्राप्त करना चाहती है उस मूल्य में पिछले कुछ वर्षों की कीमतों को ध्यान में रखते हुये कुछ वृद्धि करने के बारे में विचार किया जा रहा है। यह निर्णय किया गया है कि लाइसेंस की शर्तें कड़ी बना कर व्यापार का विनियमन और अधिक प्रभावशाली बनाया जाये। चावल मिलों को उत्तरोत्तर हाथ में लेने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार स्तर पर १० लाख टन से अधिक चावल खरीदने का निर्णय किया गया है। पी० एल–४८० के अन्तर्गत गेंहूं का अधिक आयात करने के लिये भी कार्यवाही की गई है। जब तक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती तब तक देश में कुछ रक्षित भण्डार बनाये रखने के लिये खाद्यान्नों का आयात करना जरूरी है। खाद्यान्नों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। ताकि व्यापारी अनुचित लाभ न कमा सकें। उपभोक्ताओं को भी इससे राहत मिलेगी। व्यापारियों को ऋण देने के बारे मे पर्याप्त नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कुछ उपाय किये जा रहे हैं ताकि व्यापारी अनुचित संग्रह तथा मुनाफाखोरी के उद्देश्य से ऋण प्राप्त न कर सकें। खाद्यान्न उपलब्ध करने तथा वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिये भी ये उपाय करना आवश्यक है ।

अन्न की कमी को दूर करने के लिये जहां तक दीर्घकालीन उपाय करने का सम्बंध है राज्य सरकारों ने कृषि के महत्व को महसूस कर लिया है और कृषि कार्यक्रमों को पूरा करने के उद्देश्य से हर स्तर पर पर्याप्त सहयोजन की व्यवस्था कर दी गई है। राज्यों में अधिक समन्वय बनाये रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिये उपयुक्त निकायों का गठन किया जा रहा है। केन्द्र द्वारा इस सम्बंध में किये गये उपायों का यहां पर कई बार उल्लेख किया जा चुका है। अतः मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक पदार्थों को ठीक समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक प्रयत्न किये जाने का निर्णय किया गया है। ये क्षेत्र 'पैकेज' कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे और क्षेत्रों में वे तरीके नहीं अपनाये जायेंगे जो 'पैकेज' कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गये क्षेत्रों में प्रयोग में लाये गये हैं ।

देश के कुछ भागों मे वर्षा के अभाव के कारण विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। राजस्थान पर इस कारण सब से अधिक प्रभाव पड़ा है। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिये समूचे कदम उठाये हैं ।

पंजाब के कुछ भागों में भी जो राजस्थान से मिलते हुए हैं और श्री बागड़ी का निर्वाचन क्षेत्र भी जिनमें सम्मिलित है, स्थिति काफी विकट रही। पंजाब सरकार ने पीड़ित लोगों को अन्न तथा चारा तथा अन्य वस्तुयें पहले ही उपलब्ध करा दी हैं।

पाले के कारण पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं, अर्थात लोगों को लगान में छूट या और अन्य सुविधायें दे कर राहत पहुंचाई गई है। केन्द्र सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों को हर सम्भव सहायता देने का आश्वासन भी दे दिया है।

श्री नाम्बियार (तिरूचिरूपल्लि) : क्या सरकार चावल मिलों को अपने हाथ में लेने के बारे में कोई ठोस कदम उठाने जा रही है क्योंकि चावलों की कीमतों के उतार चढ़ाव में मिलों की सीधी जिम्मेदारी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने यह नहीं कहा है कि कीमतों में उतार चढ़ावों के लिये सीधे मिल जिम्मेदार हैं। अन्य बातें भी इसके लिये जिम्मेदार हैं।

श्री नम्बियार : प्रश्न यह है कि क्या सरकार उन्हें अपने हाथ में लेने जा रही है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय ने कहा है कि मामला विचाराधीन है।

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister has not given any definite reasons for the wide fluctuations in the prices of foodgrains. He should definitely state that this variation would be of the order of 16 per cent or 20 per cent. Neither any hint has been given of the phased policy the Government want to pursue to step up agricultural production. We want an opportunity to discuss all these things.

Mr. Speaker : He will get the opportunity when we discuss the demands relating to that Ministry.

Shri Kashi Ram Gupta : May I know the number of intermediaries so far as the licensing order is concerned ?

Shri Swaran Singh : In the case of licence of a wholesale dealer the question of intermediaries does not arise.

Shri Kashi Ram Gupta : Will a wholesaler have direct dealings with a retailer ? Is there no intermediary in between the wholesaler and the farmer ?

Shri Swaran Singh : It is a matter of detail. It is provided therein that the wholesaler will sell a commodity at such and such margin to different persons.

श्री हिम्मतसिंहका : क्या माननीय मंत्री छोटी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं में और अधिक वृद्धि करने जा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : सरकार छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर पहले ही अधिक ध्यान दे रही है। इसके लिये कुछ राज्य सरकारों को अतिरिक्त अनुदान भी दिये जा चुके हैं।

Shri Yashpal Singh : Can the hon. Minister give this assurance that the farmer will have a share in the undue rise in prices of foodgrains in future ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already explained all that in detail.

Shri Vishram Prasad : Is the hon. Minister in a position to tell us the time by which the prices are likely to come to normal ?

Shri Swaran Singh : It is very difficult to forecast it now.

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

[Substitute Motions No. 1 and 2 were put and negatived]

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ मतदान सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

[Substitute Motion No. 3 was, by leave withdrawn].

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ३ मार्च, १९६४/१३ फाल्गुन, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March 3, 1964/Phalguna 13, 1885 (Saka)]

GMGIPND—LS III—2466(Ai)LSD— 29-5-64—600.